

E.O. 8036268
Z-28016/162/2019-PMSSY.IV
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
PMSSY Division

3rd floor, IRCS Building, New Delhi – 110001

Dated : 11th November, 2019

To,

- (i) The Director, AIIMS Bhopal
(Also as mentor Institute to AIIMS Kalyani)
- (ii) The Director, AIIMS Bhubaneswar
(Also as mentor Institute to AIIMS Kalyani)
- (iii) The Director, AIIMS Jodhpur
(Also as mentor Institute to AIIMS Gorakhpur)
- (iv) The Director, AIIMS Patna
(Also as mentor Institute to AIIMS Deoghar)
- (v) The Director, AIIMS Raipur
- (vi) The Director, AIIMS Rishikesh
- (vii) The Director, AIIMS Nagpur
- (viii) The Director, AIIMS Mangalagiri
- (ix) The Director, PGIMER Chandigarh (as mentor Institute to AIIMS Raebareli and Bathinda)


Subject: Adoption of AIIMS Regulations, 2019 in new AIIMS under PMSSY

Madam/ Sir,

I am directed to forward herewith AIIMS Regulations, 2019 notified by AIIMS Delhi on 21st October, 2019, with the request to adopt the same and also get it ratified by the respective Institute Bodies.

Encl : as above

Yours faithfully,


(Shambhu Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011:23736977



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2019/आश्विन 4, 1941

No. 568]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2019/ASVINA 4, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 693 (अ).— केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, 1958 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संस्थान से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. परिभाषाएं — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(घ) "भारतीय विश्वविद्यालय" से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी शामिल है ;

(ड.) 'अध्यक्ष' से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) 'स्थायी' या 'तदर्थ' समिति से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन गठित संबंधित स्थायी और तदर्थ समितियां अभिप्रेत हैं।

3. चिकित्सा संकाय के प्रतिनिधियों का नामांकन- (1) अधिनियम की धारा 4 के खंड (च) के अधीन सदस्यों के नामांकन के प्रयोजनार्थ, चिकित्सा संकाय वाले प्रत्येक भारतीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय में से एक व्यक्ति की संस्तुति कर सकता है, यदि उप कुलपति कोई चिकित्सा कार्मिक है तो उसे भी संस्तुति किया जा सकता है।

(2) केंद्रीय सरकार, यथा संस्तुति व्यक्तियों में से, विभिन्न विषयों में उचित ख्याति वाले 4 व्यक्तियों को संस्थान के सदस्यों के रूप में नामित करेगी।

4. आकस्मिक रिक्तियों को भरना – पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के कार्यालय में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा।

5. अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते— (1) अध्यक्ष या कोई भी सदस्य ऐसी यात्रा और दैनिक भत्ते के सिवाय किसी भी भत्ते या अन्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे, जिसके लिए वे धारा 29 के अधीन विरचित विनियमों के अधीन पात्र हैं।

(2) उप-नियम (1) की कोई भी बात निदेशक पर लागू नहीं होगा जो निदेशक के पद से जुड़ा हुआ वेतन और भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।

6. स्थायी वित्त समिति — (1) एक स्थायी वित्त समिति का गठन किया जाएगा जिसमें वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य शामिल होगा।

(2) निम्नलिखित मामलों को स्थायी वित्त समिति के पास भेजा जाएगा जो उन पर विचार करेगी और उस पर अपनी सिफारिशें देंगी, अर्थात्: -

(क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संस्थान की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाले वार्षिक खाते;

(ख) संस्थान की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाला बजट अनुमान;

(ग) नए पदों के निर्माण के लिए सभी प्रस्ताव;

(घ) संस्थान से संबंधित सभी वित्तीय मामले; और

(ङ.) निविदाओं के आमंत्रण और स्वीकृति से संबंधित सभी मामले।

7. स्थायी समितियाँ — (1) गठित की गई प्रत्येक स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सात से अनधिक अन्य सदस्य होंगे। निदेशक ऐसी प्रत्येक समिति का सदस्य और पदेन सचिव होगा। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संस्थान द्वारा नामित किया जाएगा।

(2) विशिष्टतया, एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा, जिसे अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट मामलों पर विचार करने के प्रयोजन से अकादमिक समिति कहा जाएगा, एक अन्य स्थायी समिति को परिवर्धन और परिवर्तन पर प्रयोजन और संस्थान से संबंधित भवनों में परिवर्तन और उनके रखरखाव और उपयोग से संबंधित अन्य प्रश्न और संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए एक संयुक्त केंद्रीय या क्षेत्रीय समिति पर विचार करने के प्रयोजन के लिए संपदा समिति कहा जाएगा।

(3) स्थायी समिति के सदस्यों के पद का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। एक निर्गामी सदस्य पुनःनामांकन के लिए पात्र होगा।

(4) किसी स्थायी समिति में एक आकस्मिक रिक्ति अध्यक्ष द्वारा नामांकन के जरिए भरी जा सकती है।

8. तदर्थ समितियाँ — (1) ऐसे प्रयोजनों के लिए संस्थान द्वारा एक तदर्थ समिति का गठन किया जा सकता है जैसाकि आवश्यक समझा जाए।

(2) किसी तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को शासी निकाय द्वारा नामित किया जाएगा।

(3) तदर्थ समिति के सदस्यों के पद का कार्यकाल विशिष्ट कार्य के पूर्ण होते ही अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए ऐसी समिति का गठन किया गया है।

(4) तदर्थ समिति में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामांकन के जरिए भरा जाएगा।

9. पदों का सृजन और उनपर नियुक्ति — (1) संस्थान सरकार के अधीन समान पदों के लिए लागू वेतनमान पर या सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों पर बजट में विशिष्ट उपबंध के अधीन पद सृजित कर सकता है, या सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान पर ग्रेड में वर्गीकृत कर सकता है, उनके पदनाम निर्दिष्ट कर सकता है और स्थायी वित्त समिति, शासी निकाय और सरकार के अनुमोदन के पश्चात् उन्हें अधिसूचित कर सकता है।

(2) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक संकाय पद की भर्ती हेतु संस्थान द्वारा गठित सभी चयन समितियों के सदस्य होंगे।

(3) निदेशक पद की नियुक्ति सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान द्वारा की जाएगी।

(4) यदि निदेशक अवकाश पर रहते हुए त्याग पत्र देते हैं, या सेवा निवृत्त होते हैं या किसी अन्य संभावितता में पद रिक्त है तो ऐसे समय तक नया निदेशक नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति छः माह से अनधिक अवधि के लिए निदेशक के कार्यों की देखरेख के लिए ज्येष्ठतम आचार्य की नियुक्ति करेंगे।

परन्तु संस्थान, कारण जो अभिलिखित किए जाएंगे, छः माह से अनधिक अवधि हेतु किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है।

परन्तु यह और कि यदि ऐसी नियुक्ति की अवधि सरकार के पूर्व अनुमोदन से छः माह अधिक हो जाती है, ऐसी नियुक्ति में वह ली जायेगी।

10. बजट अनुमान — संस्थान की अनुमानित प्राप्तियों और परिव्यय दर्शाता वार्षिक बजट ऐसे प्ररूप में तैयार किया जाएगा जैसे कि सरकार द्वारा अधिकथित किया जाए और प्रत्येक वर्ष की 15 अक्टूबर के अपश्चात् तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

11. निधि में जमा और निकासी — (1) निधि में जमा सभी राशि नई दिल्ली में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा या राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी।

(2) सभी निधियां निदेशक द्वारा संचालित की जाएगी और निधि से सभी निकासी निदेशक या निदेशक के स्थान पर विधिवत रूप से प्राधिकृत संस्थान के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक द्वारा की जाएगी।

(3) भुगतान हेतु सभी बिलों को पहले संस्थान के लेखा अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।

12. लेखा का वार्षिक विवरण — संस्थान के तुलन पत्र सहित लेखा का वार्षिक विवरण ऐसा होगा जिसे सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वर्ष से संबंधित विवरण उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ कुछ अलग प्रतियों में जिसके साथ सरकार को आगामी 31 दिसंबर से पूर्व वार्षिक रूप से प्रेषित किया जाएगा।

13. वार्षिक रिपोर्ट — अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से जोड़ा जाए और आगामी वर्ष की 31 अगस्त से अपश्चात् 50 अलग प्रतियों के साथ सरकार को प्रस्तुत किया जाए।

14 विवरणी — संस्थान सरकार द्वारा अपेक्षित प्ररूप और रीति में विवरणी और सूचना प्रस्तुत करेगा।

[फा.सं.वी-16020/04/2018-आईएनआई-।]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2019

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) and in supersession of the All India Institute of Medical Sciences Rules, 1958, except as respects things done or omitted to be done before supersession, the Central Government after consultation with the Institute hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the All India Institute of Medical Sciences Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956);
- (b) "Director" means the Director of the Institute;
- (c) "Government" means the Central Government;
- (d) "Indian University" means any University established either by the Central Government or any State Government and includes Deemed University;
- (e) "President" means the President of Institute;
- (f) "Section" means a section of the Act.;
- (g) "Standing" or "ad hoc" Committees means respective standing and ad hoc Committees constituted under sub-section (5) of section 10 of the Act.

3. Nomination of representatives of Medical Faculties. — (1) For the purpose of nomination of members under clause (f) of section 4 of the Act, the Vice-Chancellor of every Indian University having medical faculty may recommend one person from the Medical faculty of the University including the Vice-Chancellor, if the said Vice-Chancellor is a Medical personnel.

(2) Among the persons so recommended, the Central Government shall nominate four persons as members of the Institute having due regard to different disciplines.

4. Filling up the casual vacancies. — Any casual vacancy in the office of members other than ex-officio members shall be filled in accordance with the provisions of section 6.

5. Allowances of President and members. — (1) The President or any member shall not be entitled to any allowance or other remuneration except such travelling and daily allowances for which they are eligible under the regulations framed under section 29.

(2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to the Director who may draw the salary and allowance attached to the post of Director.

6. Standing Finance Committee. — (1) There shall be constituted a Standing Finance Committee which shall include member representing the Ministry of Finance.

(2) The following matters shall be referred to the Standing Finance Committee which shall consider them and make its recommendations thereon, namely: —

- (a) annual accounts showing the receipts and expenditure of the Institute together with the audit report thereon;
- (b) budget estimates showing the estimated receipts and expenditure of the Institute;
- (c) all proposals for the creation of new posts;
- (d) all financial matters pertaining to the Institute; and
- (e) all matters relating to the invitation and acceptance of tenders.

7. Standing committees. — (1) Every standing committee constituted shall be consisting of a Chairman, a Vice Chairman and not more than seven other members. The Director shall be a member and ex-officio Secretary of each such committee. The Chairman and Vice Chairman and other members of each committee shall be nominated by the Institute.

(2) In particular, there shall be constituted, a standing committee to be called the Academic committee for the purpose of considering the matters specified in section 14 of the Act, another standing committee to be called the Estate committee

for the purpose of considering additions and alterations to buildings belonging to the Institute and other questions relating to their maintenance and use and, a combined Central or Regional committee for recruitment of faculty members.

(3) The term of office of members of a standing committee shall be five years. An outgoing member shall be eligible for re-nomination.

(4) A casual vacancy in a standing committee may be filled by the President by nomination.

8. Ad hoc committees. — (1) An ad hoc committee may be constituted by the Institute for such purposes as it may consider necessary.

(2) The Chairman and members of an ad hoc committee shall be nominated by the Governing Body.

(3) The term of office of members of ad hoc committee shall be terminated as soon as the specific function for which such committee is constituted is completed.

(4) Any casual vacancy in an ad hoc committee shall be filled by nomination by the Chairman of the Governing Body.

9. Creation of posts and appointment thereon. — (1) The Institute may create posts, subject to specific provision in the budget, on scales of pay applicable to similar posts under the Government or on scales of pay approved by the Government, classify them into grades, specify their designation and notify them after approval of Standing Finance Committee, Governing Body and the Government.

(2) The Director General of Health Services shall be a member of all Selection Committees constituted by the Institute for recruitment to faculty posts.

(3) Appointment to the post of Director shall be made by the Institute with the prior approval of the Government.

(4) In the event of the Director proceeding on leave, resigning or retiring, or the post falling vacant in any other eventuality, till such time a new Director is appointed, the President may appoint the senior-most professor to look after the functions of the Director for a period not exceeding six months:

Provided that the Institute may appoint, for reasons to be recorded in writing, any other person for a period not exceeding six months:

Provided further that if the period of such appointment exceeds six months prior approval of the Government shall be taken for such appointment.

10. Budget Estimates. —The annual budget showing the estimated receipts and expenditure of the Institute shall be prepared in such form as may be laid down by the Government and shall be submitted to it in triplicate not later than the 15th October each year.

11. Deposits into and withdrawals from the Fund.—(1) All moneys credited to the Fund shall be deposited in any branch of the State Bank of India or a nationalised Bank in New Delhi.

(2) The Fund shall be operated by the Director, and withdrawals from the Fund shall be made by cheques signed by the Director or an officer of the Institute duly authorised by the Director in this behalf.

(3) All bills for payment shall be pre-checked by the Accounts Officer of the Institute.

12. Annual statement of accounts.—The annual statement of accounts including the balance sheet of Institute shall be in such form as may be laid down by the Government. The Statement pertaining to each year ending with 31st March together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Government together with such number of spare copies thereof as may be required by the Government from time to time but not later than the 31st December following.

13. Annual Report. —The Annual Report referred to in section 19 of the Act shall relate to the year ending with the 31st March of each year and be submitted to the Government together with 50 spare copies thereof, not later than the 31st August following year.

14. Returns.—The Institute shall furnish to the Government returns and information in such form and manner as may be required by the Government.

[F. No. V-16020/04/2018-INI-I]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 21, 2019/आश्विन 29, 1941

No. 361]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 21, 2019/ASVINA 29, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2019

फा.सं. 14-3/69(98)/Coordination Cell/Estt.(Part-II) .—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 1999 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: -

1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 2019 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2.	परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (क) 'अधिनियम' से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) अभिप्रेत है; (ख) 'अध्यक्ष' से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन शासी निकाय के अध्यक्ष से अभिप्रेत है; (ग) "उपनिदेशक" से संस्थान का उपनिदेशक (प्रशासन) अभिप्रेत है; (घ) 'निदेशक' से अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त संस्थान के निदेशक से अभिप्रेत है; (ड.) "मूल नियम" से केंद्रीय सरकार कर्मचारी पर लागू मूल नियम अभिप्रेत है; (च) 'सामान्य वित्तीय नियम' विरचित सामान्य वित्तीय नियम, 2017 और वित्तीय प्रबंधन व नियंत्रण हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित से अभिप्रेत है; (छ) 'अध्यक्ष' से इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामित संस्थान का अध्यक्ष

	<p>अभिप्रेत है;</p> <p>(ज) 'नियम' से इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित नियम अभिप्रेत है;</p> <p>(झ) 'अनुसूची' से इन विनियमनों के लिए उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;</p> <p>(ञ) 'सचिव' से संस्थान और शासी निकाय का सचिव अभिप्रेत है;</p> <p>(ट) 'अनुपूरक नियम' से सरकारी सेवकों पर लागू अनुपूरक नियम अभिप्रेत है; जो मूल नियम के अधीन है</p> <p>(ठ) 'खजाना नियम' से केंद्रीय सरकार का खजाना नियम अभिप्रेत है;</p> <p>(2) उन शब्दों और वाक्यांशों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे, जो उसमें हैं।</p>
3.	<p>अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य-अध्यक्ष- की ऐसी शक्तियों का उपयोग और कार्य निष्पादन इस अधिनियम, नियम और अनुसूची 1 सहित इन विनियमों में उल्लिखित है,</p>
4.	<p>संस्थान की बैठकें-</p> <p>(1) अध्यक्ष कार्य संचालन के लिए जब भी आवश्यक समझे बैठक कर सकेगा, परंतु एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य होगी।</p> <p>(2) (क) संस्थान की बैठक अध्यक्ष द्वारा नियत तारीख और समय पर आयोजित की जाएगी। (ख) बैठक का कार्यवाहियों को अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात निदेशक द्वारा संस्थान के सभी सदस्यों को परिचालित की जाएगी और कार्यवाहियों की पुष्टि के लिए सदस्यों को सात दिन का समय दिया जाएगा। (ग) संस्थान के बैठकों की सभी कार्यवाहियों को सचिव द्वारा इस प्रयोजन हेतु रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक कार्यवृत्त पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से पुष्टि किए जाने के पश्चात बैठक का अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा।</p> <p>(3) संस्थान की साधारण बैठक के लिए स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए ऐसी बैठक की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व सूचना सचिव द्वारा सदस्यों को या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा दी जाएगी। सूचना के साथ बैठक की कार्यसूची भी भेजी जाएगी और जहां ऐसा करना संभव न हो, वहां ऐसी कार्यसूची को बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा।</p> <p>(4) संस्थान की असाधारण बैठक अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय संस्थान के अत्यावश्यक कार्य संचालनकेलिए बुलाई जा सकेगी।</p> <p>(5) असाधारण बैठकों के लिए, बैठक के स्थान, तारीख और समय की विनिर्दिष्ट सूचना बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व सचिव द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को भेजी जाएगी, यदि डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, तो उसे डाक प्रमाणपत्र के अधीन भेजा जायेगा। बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व कार्यसूची को या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा।</p> <p>(6) संस्थान की असाधारण बैठक, संस्थान के नौ से अन्यून सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अनुरोध प्राप्ति के सात दिनों के भीतर बुलाई जा सकेगी और अपेक्षित बैठक के सदस्यों द्वारा अनुरोध करने पर बैठक के प्रयोजन को उपदर्शित किया जाएगा।</p> <p>(7) संस्थान की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में, उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे।</p> <p>(8) संस्थान के बैठक की गणपूर्ति सात होगी।</p> <p>(9) अध्यक्ष, बैठक के पूर्व या उसके दौरान किसी समय कार्यसूची में निम्नलिखित को शामिल कर सकता है (i) कामकाज की नई मदें, (ii) कार्यसूची में शामिल अनुपूरक मदें, और ऐसे मदों पर भी विचार किया जाएगा।</p> <p>(10) कोई सदस्य संस्थान की किसी बैठक में कोई संकल्प पेश करने की वांछा रखता है, तो वह सचिव को लिखित में इसकी सूचना देगा जो बैठक की तारीख से पूर्व चौदह दिनों से अन्यून उसके पास पहुंच जाए। जब ऐसी सूचना दी गई हो, तो प्रस्तावित संकल्प सचिव द्वारा सदस्यों को तत्काल परिचालित किया जाएगा और उसे कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।</p> <p>(11) सदस्य, अध्यक्ष से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करनेके पश्चात वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भी भाग ले सकता है आगे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ऐसी सहभागिता गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।</p>

	<p>(12) यदि संस्थान में नामित कोई गैर-सरकारी सदस्य, संस्थान या शासकीय निकाय या स्थायी समितियों की सतत तीन बैठकों में अध्यक्ष की संतुष्टि के किसी वैध कारण के बिना प्रतिभागिता नहीं करता है तो अध्यक्ष के अनुमोदन से, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।</p> <p>(13) संस्थान द्वारा बैठक के दौरान निपटाए गए किसी विषय को एक वर्ष की समाप्ति पर विचारार्थ नहीं लाया जाएगा सिवाय ऐसे मामले में, जहां अध्यक्ष या सरकार यह प्रमाणित करती है कि संस्थान के हित में विषय पर और विचार करना अपेक्षित है।</p> <p>(14) बैठक में किसी सदस्य द्वारा उठाए गए आदेश के प्रश्न पर अध्यक्ष द्वारा लिया निर्णय अंतिम होगा।</p> <p>(15) संस्थान के सभी निर्णय बहुसंख्यक मत द्वारा लिए जाएंगे और मतों की संख्या समान रहने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।</p> <p>(16) संस्थान का कोई भी कार्य संव्यवहार सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा कागजात के परिचालन के माध्यम से किया जाएगा और यदि मतैक्य अनुमोदन होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संकल्प और उस पर की गई कार्रवाई संस्थान की आगामी बैठक में पुष्टि के लिए रखी जाएगी।</p>
5.	<p>शासी निकाय का गठन - शासी निकाय में निम्नलिखित ग्यारह सदस्य होंगे, अर्थात:-</p> <p>(क) संस्थान का अध्यक्ष -सभापति ;</p> <p>(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक -पदेन सदस्य;</p> <p>(ग) वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि - पदेन सदस्य;</p> <p>(घ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान -सदस्य ;</p> <p>(ङ) संस्थान में निर्वाचित तीन सदस्यों में से एक को संस्थान के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा</p> <p>(च) संस्थान के सदस्यों में से छह सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा</p> <p>(छ) निम्नलिखित स्थायी विशेष आमंत्रित:-</p> <p>(i) अपर सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संस्थान का प्रभारी) ;</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संस्थान का प्रभारी) ;</p> <p>(iii) डीन (अकादमिक) ;</p> <p>(iv) उपनिदेशक (प्रशासन) ;</p> <p>(v) ज्येष्ठ वित्त सलाहकार</p>
6.	<p>शासी निकाय की शक्तियाँ और कार्य — शासी निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो अनुसूची I सहित इन विनियमों में अधिकथित हैं।</p>
7.	<p>अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य — अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन कार्यों का निर्वहन करेगा जो इन विनियमों में अधिकथित है।</p>
8.	<p>शासी निकाय की बैठकें — (1) शासी निकाय अपने कार्य संचालन हेतु अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बैठक कर सकती है, लेकिन आमतौर पर जनवरी, मई और सितंबर के महीने में कम से कम तीन बार प्राथमिक रूप से बैठक होंगी।</p> <p>(2) बैठक की कार्रवाई अध्यक्ष के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निदेशक द्वारा शासी निकाय के सदस्यों में प्रचालित की जाएगी। कार्रवाई की पुष्टि के लिए सदस्यों को चौदह दिनों की अवधि दी जाएगी।</p> <p>(3) शासी निकाय की बैठकों की सभी कार्रवाइयों को प्रयोजन के लिए सचिव द्वारा रखी जाने वाली एक कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा और उपस्थित सदस्यों द्वारा उपर्युक्त की सम्यक पुष्टि किए जाने के पश्चात् बैठक के अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।</p> <p>(4) शासी निकाय की एक असाधारण बैठक को शासी निकाय के कम से कम छह सदस्यों या अध्यक्ष द्वारा लिखित अनुरोध पर आयोजित की जाएगी।</p> <p>(5) शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की सूचना सचिव द्वारा शासी निकाय के सदस्यों को भेजी जाएगी, साधारण बैठक के मामले में कम से कम चौदह दिन और असाधारण बैठक के मामले में कम से कम सात दिन पहले बैठक की तारीख से पहले</p>

	<p>या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड डाक द्वारा भेजे जाने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन बैठकों का कार्यवृत्त भेजा जाएगा यदि डाक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड डाक द्वारा तो बैठक की तारीख से क्रमशः कम से कम दस दिन और पांच दिन पूर्व भेजा जाएगा।</p> <p>(6) किसी भी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक में अध्यक्षता करने के लिए आपस में एक व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।</p>
	<p>(7) पाँच सदस्यों से गणपूर्ति होगी, अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं, और वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ऐसी भागीदारी को गणपूर्ति के प्रयोज्य हेतु गिनी जाएगी।</p> <p>(8) शासी निकाय के सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। वोटों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।</p> <p>(9) शासी निकाय का कोई भी सदस्य बैठक में किसी भी संकल्प को लाने की वांछा रखता है तो सचिव को उसके बारे में लिखित रूप से नोटिस दिया जाएगा जो कि बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले पहुँच जाए। ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर सचिव द्वारा सदस्यों को तत्काल प्रचालित किया जाएगा और बैठक के कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।</p> <p>(10) कोई भी मामला जो कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया हो और जिसकी सूचना उप-विनियम (9) में उल्लिखित के अनुसार नहीं दिया गया हो तो उस पर अध्यक्ष की अनुमति से शासी निकाय की बैठक में विचार किया जा सकता है।</p> <p>(11) शासी निकाय के किसी भी कार्य को सदस्यों और अध्यक्ष को कागजात के संचालन द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है और यदि सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। निर्णय और उस पर की गई कार्रवाई को पुष्टि के लिए शासी निकाय की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि अगली बैठक में शासी निकाय द्वारा संकल्प की पुष्टि नहीं की जाती है, तो परिचालित व सदस्यों द्वारा सहमत संकल्प के अनुपालन में पूर्व में की गई कार्रवाई ही मान्य होगी। यदि शासी निकाय अगली बैठक में संकल्प की पुष्टि नहीं करता है, तो परिचालित और सदस्यों द्वारा सहमत संकल्प के अनुपालन में पूर्व में की गई कार्रवाई मान्य होगी।</p>
	<p>(12) यदि शासी निकाय में नामांकित एक गैर-सरकारी सदस्य बिना किसी वैध कारण के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो अध्यक्ष के अनुमोदन से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।</p>
9.	<p>शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि- (1) यदि शासी निकाय के पदेन सदस्य से भिन्न एक सदस्य की पदावधि संस्थान के एक सतत सदस्य के रूप में पांच वर्ष का होगा और पद छोड़ने वाले सदस्य फिर से निर्वाचन के लिए पात्र होगा।</p> <p>(2) निर्वाचित सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को संस्थान द्वारा रिक्ति की शेष अवधि के लिए निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।</p>
10.	<p>शासी निकाय, स्थायी समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते—(1) शासी निकाय, स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठकों में शामिल होने के लिए यात्रा और दैनिक भत्ते के अलावा कोई वेतन, शुल्क, पारिश्रमिक या अन्य भत्ता नहीं दिया जायेगा।</p> <p>(2) अध्यक्ष और शासी निकाय और स्थायी तथा तदर्थ समितियों के सदस्य, यदि वे केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी हैं, तो उन्हें केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों के रूप में आनुज्ञेय दर पर संस्थान द्वारा यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।</p> <p>(3) उप-विनियम (2) में उल्लिखित से भिन्न, शासी निकाय और स्थायी तथा तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के मामलों में यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान उन दरों, जिनके उस संगठन, जहां वे कार्यरत हैं, के नियमों के अनुसार वे हकदार हैं या केंद्रीय सरकार द्वारा समय पर निर्धारित पूरक नियमों और कार्यकारी निर्णय और उसके अधीन जारी आदेशों के अनुसार जो भी अधिक है, पर किया जायेगा।</p> <p>(4) अध्यक्ष, विशेष कारणों से शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समिति के ऐसे सदस्यों, जो हवाई यात्रा के पात्र नहीं हैं, के लिए हवाई यात्रा की मंजूरी दे सकता है और ऐसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान केंद्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी के लिए स्वीकार्य दरों पर किया जाएगा।</p>

11.	<p>निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य — निदेशक अनुपूरक नियमों के नियम 2 के उप-नियम (10) के संदर्भ में संस्थान के प्रमुख होंगे और संस्थान के प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्: -</p> <p>(क) वह संस्थान के प्रशासन के प्रभारी होंगे। वह संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यों का आवंटन करेंगे और ऐसे पर्यवेक्षण और कार्यकारी नियंत्रण का उपयोग करेगा, जो नियमों और इन विनियमों के अधीन आवश्यक हो सकता है;</p> <p>(ख) वह इन विनियमों के लिए अनुसूची-1 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा;</p> <p>(ग) उसके पास शासी निकाय द्वारा लागू सीमाओं के अधीन प्रशासनिक पक्ष की अपनी कोई भी शक्ति अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने का अधिकार होगा।</p>
12.	<p>स्थायी समितियों के कार्य के संचालन की प्रक्रिया -</p> <p>(1) सभी स्थायी समितियां सलाहकार समितियां होंगी।</p> <p>(2) सदस्यों का पचास प्रतिशत से सभी स्थायी समितियों के लिए गणपूर्ति होगी। सदस्य अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसी भागीदारी की गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। स्थायी चयन समिति या संयुक्त चयन समिति या क्षेत्रीय चयन समिति के मामले में, गणपूर्ति का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए दो विशेषज्ञों को भी गिना जायेगा।</p>
13.	<p>संस्थान से संबंधित भवन और भूमि — (1) संस्थान अपने प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि और भवनों का उपयोग करेगा।</p> <p>(2) आवंटन और मूल्यांकन तथा इमारतों के किराए की वसूली निदेशक द्वारा मूल नियम के नियम 45क, नियम 45ख और नियम 45ग और पूरक नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।</p> <p>(3) संस्थान के हर कर्मचारी को, अगर संस्थान के परिसर में आवास का प्रस्ताव किया जाता है तो वे उस आवास में रहेंगे और संस्थान द्वारा निर्धारित किराये और अन्य प्रभारों का भुगतान करेंगे।</p>
14.	<p>पुरस्कार, छात्रवृत्ति देने की शक्तियाँ - संस्थान समय-समय पर अपने छात्रों को शासी निकाय द्वारा निर्धारित पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, वृत्तिका और छात्रवृत्ति प्रदान कर सकता है।</p>
15.	<p>संकायाध्यक्ष और सह-संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया - (1) तीन संकायाध्यक्ष होंगे, अर्थात् संकायाध्यक्ष (शैक्षिक), संकायाध्यक्ष (अनुसंधान) और संकायाध्यक्ष (परीक्षा)। आचार्य और विभागाध्यक्ष को निदेशक के परामर्श से ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।</p> <p>(2) तीन सह-संकायाध्यक्ष होंगे, अर्थात् सह-संकायाध्यक्ष (शैक्षिक), सह-संकायाध्यक्ष (अनुसंधान), और सह-संकायाध्यक्ष (परीक्षा)। किसी भी शिक्षक वर्ग (अपर आचार्य या उससे ऊपर) को निदेशक के परामर्श से संस्थान द्वारा सह-संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सह-संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) और सह-संकायाध्यक्ष (अनुसंधान) को मेडिकल संकाय से ही नियुक्त किया जाएगा।</p> <p>(3) संकायाध्यक्ष और सह-संकायाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का होगा और संस्थान के निदेशक के परामर्श से संस्थान द्वारा एक और कार्यकाल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकेगा।</p> <p>(4) संकायाध्यक्ष और सह-संकायाध्यक्ष विद्यमान संकाय सदस्यों से नियुक्त किए जाएंगे और जब तक कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।</p>
16.	<p>आचार्य पद . - संस्थान आचार्य पद, अपर आचार्य पद, उप-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद, नर्सिंग कॉलेज के आचार्य सह-प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज के आचार्य- सह-उप-प्राचार्य, नर्सिंग में सह-आचार्य, नर्सिंग में सहायक आचार्य और अन्य पद सृजित कर सकता है और व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता। भारत सरकार की स्वीकृति के बिना कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा।</p>

17.	व्याख्यान की व्यवस्था करने की शक्ति - यह संस्थान समुचित शुल्क या मानदेय के भुगतान पर समय-समय पर संस्थान में व्याख्यान देने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है और उन्हें भारत के भीतर अपनी यात्रा के लिए के केंद्रीय सरकार के समान स्थिति कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर यात्रा भत्ते का भुगतान कर सकता है।
18.	शुल्क और अन्य प्रभार - संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा देश सभी शुल्क और अन्य प्रभार अकादमिक समिति द्वारा संस्तुत और स्थायी वित्त समिति, शासी निकाय और संस्थान द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार होंगे।
19.	अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश - अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार होगा।
20.	उपाधियों प्रदान करना - संस्थान एमबीबीएस, एमडी, एमएस, पीएच-डी, डीएम, एमसीएच, एमएचए, एमडीएच, फैलोशिप, एमएससी, एम.बायोटेक, बी.एससी (ऑनर्स) ह्यूमन बायोलॉजी, बी.एससी (ऑनर्स) नर्सिंग, बी.एससी। नर्सिंग (पोस्ट-सर्टिफिकेट), बी.एससी(ऑनर्स) पैरामेडिकल विषयों और किसी भी अन्य डिग्री के रूप में संस्थान की स्थायी शैक्षणिक समिति द्वारा अनुमोदित और शासी निकाय द्वारा किए गए अनुसमर्थन से, संस्थान जिसे वांछनीय समझता है, वह डिग्री मंजूर कर सकता है।
21.	परीक्षा का आयोजन (शैक्षणिक के साथ- साथ में भर्ती) - संस्थान में परीक्षा आयोजित करने, प्रश्न-पत्र तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाओं या शोध पत्रों, मौखिक और प्रैक्टिकल परीक्षा की जांच करने, के लिए निदेशक द्वारा अपेक्षित संख्या में पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों, परीक्षकों (आंतरिक बाहरी) और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है और शैक्षणिक समिति द्वारा की गई संस्तुति तथा स्थायी वित्त समिति, शासी निकाय और संस्थान द्वारा समय-समय पर किए गए अनुमोदन के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है।
22.	पूर्णकालिक कर्मचारी - जब तक, किसी भी मामले में, अन्यथा यह स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता संस्थान के कर्मचारी का पूरा समय संस्थान के अधीन होगा और उसे बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा किए बगैर संस्थान के समुचित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित तरीके से नियोजित किया जा सकता है।
23.	स्थायी और अस्थायी पद — (1) संस्थान की सेवा में पद किसी भी समय-सीमा के बिना स्वीकृत वेतन की एक निश्चित दर पर स्थायी पद होंगे या सीमित समय के लिए स्वीकृत पद की निश्चित दर पर अस्थायी पद होंगे। स्थायी पद धारित किसी व्यक्ति की एक निर्धारित अवधि के लिए उच्च पद पर नियुक्ति होने पर उसे प्रारंभ में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए पूर्वधारित पद में अपना धारणाधिकार रखने की अनुमति होगी जिसे दो वर्ष या समयपूर्व प्रत्यावर्तन के लिए बढ़ाया जा सकेगा। (2) निवासी डॉक्टरों के अस्थायी पदों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की समय-समय पर संशोधित की गई रेजिडेंसी योजना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
24.	नियुक्ति के लिए योग्यता — (1) उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने से पहले समान पदों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए संस्थान के तहत किसी पद पर नियुक्ति के लिए आयु, अनुभव और अन्य योग्यताएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएंगी, परन्तु गैर-चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति निदेशक के पद पर नहीं की जाएगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात समय-समय पर अलग से अधिसूचित किया जाएगा। (2) निदेशक, संस्थान के तहत पदों और सेवाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में इस तरह के आरक्षण करेगा, जो केंद्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर किए जाते हैं।
25.	परिवीक्षा की अवधि - यदि किसी भी मामले में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्यथा तय नहीं किया गया है, सभी कर्मचारी दो साल के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, कर्मचारी को संतोषजनक सेवा देनी होगी ऐसा न करने पर किसी भी समय या कोई भी नोटिस या कारण बताए बगैर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि, नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।
26.	ज्येष्ठता - संस्थान के प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की ज्येष्ठता का निर्धारण उसकी योग्यता के क्रम से किया जाएगा जिसमें उन्हें संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया था, जिन्हें पहले चुना गया था, उन्हें बाद में चयनित कर्मचारियों से ज्येष्ठ दर्जा दिया जाएगा।

27.	<p>छुट्टी - (1) संस्थान के अस्थायी और स्थायी कर्मचारी इस तरह के अवकाश और अवकाश वेतन के हकदार होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की समान श्रेणियों के लिए अनुमत्य हैं। परन्तु केंद्रीय सरकार के केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के प्रयोजन हेतु, संस्थान में अध्यापन कर्मचारीवृंद की निम्नलिखित श्रेणियों या किसी अन्य पद को स्थायी शैक्षणिक समिति द्वारा अकादमिक पद के रूप में घोषित किया गया हो और शासी निकाय द्वारा समय-समय पर इसकी पुष्टि की गई हो, को छुट्टी विभाग में सेवारत कर्मचारी के रूप में माना जाएगा, अर्थात्: -</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) आचार्य, (2) अपर आचार्य, (3) सह आचार्य, (4) सहायक आचार्य, (5) चिकित्सा अधीक्षक, (6) अपर चिकित्सा अधीक्षक, (7) प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय, (8) नर्सिंग प्राध्यापक, (9) ज्येष्ठ नर्सिंग शिक्षक, और (10) नर्सिंग शिक्षक: <p>(2) इस प्रयोजन के लिए नियमित अवकाश समय-समय पर शासी निकाय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार होगा। परन्तु संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर एक पदधारी को अन्यत्र सेवा के रूप में छुट्टी के उन नियमों द्वारा शासित किया जाएगा, जिन्हें उनके प्रतिनियुक्ति की शर्तों में निर्धारित किया गया है।</p>
28.	<p>पेंशन और अंशदायी भविष्य निधि - (1) 12 सितंबर, 1975 को या उसके बाद नियुक्त किए गए संस्थान के कर्मचारी, संस्थान में अन्यत्र सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर, और ऐसे कर्मचारी जिन्हें इस तिथि से पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू सामान्य भविष्य निधि और पेंशन लाभों को ऐसे कर्मचारी से चुना है, सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।</p> <p>(2) 1 जनवरी, 2004 से, जब से नई पेंशन योजना शुरू हुई थी, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद संस्थान की सेवा में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना द्वारा शासित किया जाएगा।</p>
29.	<p>कार्य से अनुपस्थिति - जब तक असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अन्यथा एवं कोई निर्णय नहीं लिया जाता, संस्थान का कोई भी स्थायी कर्मचारी अवकाश पर रहने या लिम्बन के कारण शासी निकाय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अनुमोदित दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अवधि और प्रयोजनों के अतिरिक्त अनुपस्थित नहीं रहेगा।</p>
30.	<p>अधिवर्षिता -</p> <p>(1) संस्थान के अध्यापन संकाय के अलावा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु साठ वर्ष या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट आयु के अनुसार होगी। परन्तु उन व्यक्तियों के मामले में, जो कारणों को अभिलिखित करने के लिए विशेष रूप से सक्षम हैं तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा संबंधित व्यक्ति की निरंतर दक्षताके अधीन वैज्ञानिक विशेषज्ञों को मामला दर मामला के आधार पर सेवा में बासठ वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है।</p> <p>(2) संस्थान के शिक्षण संकाय के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु यथा विनिर्दिष्ट आयु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर होगी।</p> <p>(3) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार कर सकेगा कि ऐसा करना लोकहित में है, संस्थान के किसी कर्मचारी को कम से कम तीन महीने का लिखित में सूचना देकर या ऐसे सूचना के स्थान पर तीन महीने का वेतन और भत्तों का भुगतान कर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सेवानिवृत्त कर सकता है-</p>

	<p>(i) यदि वह समूह क या समूह ख सेवा या पद पर है और उसने पैतीस वर्ष की आयु पूरा करने से पहले संस्थान के सेवा में प्रवेश किया था। तत्पश्चात् उसने पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; और</p> <p>(ii) किसी अन्य मामले में, उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् :</p> <p>परन्तु इस उप - विनियमन में कुछ भी समूह घ सेवा या ऐसे पद के किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो दिनांक 1 दिसंबर, 1962 को या उससे पहले सेवा में प्रवेश किया है।</p> <p>(4) संस्थान का कोई भी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में तीन महीने से अन्यून समय का सूचना देकर, सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है, यदि वह समूह क या समूह ख सेवा या पद पर है, और उसने पैतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले संस्थान की सेवा में प्रवेश किया हो और अन्य सभी मामलों में उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(क) इस उप - विनियमन में कुछ भी समूह घ सेवा या पद के किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो दिनांक 1 दिसंबर, 1962 को या उससे पहले सेवा में प्रवेश किया है।</p> <p>(ख) यह निलंबन के अधीन कर्मचारी को अनुमति रोकने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के लिए खुला होगा जो इस उप - विनियमन के तहत सेवानिवृत्त होना चाहता है।</p> <p>स्पष्टीकरण - इस विनियमन में " शिक्षण संकाय के सदस्य " शब्दों का तात्पर्य आचार्य, अपर आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, चिकित्सा अधीक्षक, अपर चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग कॉलेज का प्राचार्य, नर्सिंग में प्राध्यापक, ज्येष्ठ नर्सिंग शिक्षक और नर्सिंग में शिक्षक और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा शिक्षण संकाय के सदस्यों के रूप में घोषित किए जाने वाले संस्थान के अन्य कर्मचारियों से है।</p>
31.	<p>निदेशक के पद का कार्यकाल । - (1) निदेशक का कार्यकाल पद धारण से पाँच वर्षों या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, इसमें से जो भी पहले हो, तक होगा।</p> <p>(2) इन विनियमनों में किसी बात के होते हुए भी, यदि का मत है कि यदि ऐसा करना जनहित में है तो उसे लिखित रूप में तीन महीने से अन्यून की सूचना देकर या इसके एवज में तीन महीने के वेतन और भत्ते देकर उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय निदेशक के पद के कार्यकाल को समाप्त करने का अधिकार होगा। निदेशक को यह भी अधिकार होगा कि वह संस्थान को लिखित रूप में तीन महीने से अन्यून समय का नोटिस देकर निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी भी समय अपने पद को त्याग सकता है।</p>
32.	<p>भर्ती आयु — संस्थान की सेवा में भर्ती के समय उम्मीदवार की अधिकतम आयु शिक्षण पदों के लिए सामान्य रूप से पचास वर्ष और गैर शिक्षण पदों के लिए तीस वर्ष होगी या जैसा कि प्रत्येक पद के लिए भर्ती नियमों में दर्शाया गया है (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी विभागों में ज्येष्ठ प्रदर्शकों या ज्येष्ठ रेजिडेंटों को छोड़कर जहां यह तीस वर्ष होगी या जैसी समय-समय पर स्थायी अकादमिक समिति द्वारा सिफारिश की जाती है)। शासी निकाय द्वारा इस सीमा में छूट दी जा सकती है।</p>
33.	<p>आचरण, अनुशासन और दंड — (1) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 जिसमें समय-समय पर यथा-उपांतरित होता है, संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होगा।</p> <p>(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का भाग IV (निलंबन), भाग V (दंड और अनुशासनात्मक प्राधिकारी) भाग VI (दंड अधिरोपित करने संबंधी प्रक्रिया), भाग VII (अपील) और भाग VIII (समीक्षा) जिसमें समय-समय पर यथा-उपांतरित होता है, संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होगा :</p>

	<p>परंतु इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, -</p> <p>(क) संस्थान में समूह क, समूह ख, समूह क और समूह घ पद क्रमशः केंद्रीय सिविल सेवा समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ पद के अनुरूप होंगे;</p> <p>(ख) संस्थान के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, दंडों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी जिन्हें अध्यारोपित किया जा सकता है और अपील प्रधिकारी अनुसूची-II के अनुरूप होंगे।</p> <p>(ग) संस्थान द्वारा उधार लिए गए केंद्रीय या राज्य सरकार के सेवकों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के क्रमशः नियम 20 और नियम 21 के प्रावधान लागू होंगे और संस्थान इन नियमों के प्रयोजन के लिए जैसा भी मामला हो केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यों का उपयोग करेंगे;</p> <p>(घ) किसी भी मामले में संघ लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श आवश्यक नहीं होगा ।</p>
34.	<p>कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं — (1) संस्थान के कर्मचारी जिनमें प्रतिनियुक्तिकर्ता और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत स्वीकार्य चिकित्सा सहायता के हकदार होंगे । वे भी इस तरह के अंशदान का भुगतान करेंगे जैसा कि उस योजना के तहत अपेक्षित है ।</p> <p>(2) संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के साथ-साथ उन कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के मामले में जो संस्थान के स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचारक नियम, 1944 जिसमें समय-समय पर संशोधन होता है, लागू होगा। किसी भी परेशानी में, इस तरह के मामलों में खर्च चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की लागू दरों के अनुसार की जाएगी।</p>
35.	<p>सेवा की अन्य शर्तें – इन विनियमनों में नहीं दिए गए मामलों के संबंध में, सेवा की सामान्य शर्तों, वेतन, यात्रा और दैनिक भत्ते, अवकाश वेतन, कार्यग्रहण अवधि, विदेश सेवा संबंधी शर्तों और समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों एवं निर्णयों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियम संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।</p>
36.	<p>कर्मचारियों को संस्थान निवास का आवंटन - संस्थान के कर्मचारियों प्रावधानों समय-समय पर संस्थान द्वारा अधिकथित मेडिकल साइंसेज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आवासों के आवंटन के लिए हकदार होगा ।</p>

अनुसूची-I

(विनियमन 3, 6 और 11 देखें)

शक्तियों का विस्तार

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	निदेशक	अध्यक्ष	शासी निकाय	संस्थान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्वीकृत बजट से निधियों के पुनःविनियोजन की शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	-	-	-	किसी भी पुनः विनियोजन की रिपोर्ट को उसके बाद की बैठक में अनुमोदन के लिए शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।
2.	(i) धोखाधड़ी के कारण जनता के धन के भंडार के	प्रत्येक मामले में रु. 2,000/- तक	प्रत्येक मामले में रु. 0,000/- तक	प्रत्येक मामले में रु. 20,000/-	पूर्ण शक्तियाँ	

	अपरिवर्तनीय मूल्य के नुकसान को बढ़े खाते डालना।			तक		
	(ख) राजस्व या अपरिवर्तनीय अग्रिम का नुकसान					
	(ग) भंडार के मूल्य में कमी और मूल्यहास					
3.	स्टोर्स और स्टेशनरी की खरीद और प्रपत्रों की छपाई पर (i) आकस्मिक व्यय (या) व्यय करना।	स्वीकृत बजट के भीतर पूर्ण शक्तियां।	-	-	-	-
4.	भवन का रखरखाव और खुदरा कार्य: -	-		-	-	-
	(क) मूल कार्य और विशेष मरम्मत	अधिकतम रु. एक लाख प्रति वर्ष के अधीन प्रत्येक मामले में रु. 20,00,000/-	अधिकतम रु. 25 लाख प्रति वर्ष के आधार पर प्रत्येक मामले में रु. 50,000/-	-	-	-
	(ख) साधारण मरम्मत	मामूली मरम्मत के लिए पूर्ण अधिकार (वार्षिक मरम्मत नहीं)	-	-	-	-
	(ग) वार्षिक मरम्मत	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-
5.	वसूली योग्य अग्रिमों को मंजूरी देने की शक्ति	स्वयं को छोड़कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण अधिकार	निदेशक के मामले में	-	-	-
6.	अंशदायी/ सामान्य भविष्य निधि में से अग्रिम / अंतिम निकासी की मंजूरी की शक्ति	स्वयं को छोड़कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण अधिकार	निदेशक के मामले में	-	-	-
7.	खातों के साथ जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड को समाप्त करना	सामान्य वित्तीय नियमों के परिशिष्ट 13 में निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-
8.	किसी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर भुगतान निर्देशित करने की शक्ति, जो संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, जहां अगले महीने के पहले चार दिन सार्वजनिक अवकाश हो।	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-

9.	किसी भी अवधि के लिए निर्विवाद वेतन और स्थापना के भत्ते को तीन महीने से अधिक नहीं रखने का आदेश देने की शक्ति	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-
10.	सबसे छोटा या सस्ता के अलावा अन्य मार्ग से लाभ भत्ते की अनुमति देना	मार्ग का चयन संस्थान के हित में होने पर पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-
11.	समूह 'घ' के कर्मचारियों को ट्रेन में एक अधिकारी के साथ अगले उच्च श्रेणी रेलवे किराया लेने की अनुमति देना, जिसमें द्वितीय श्रेणी का प्रावधान किया गया है	पूर्ण शक्तियाँ				
12.	यह तय करना कि देश के भीतर ड्यूटी पर कोई विशेष अनुपस्थिति है या नहीं	शैक्षिक उद्देश्य के लिए पूर्ण शक्तियाँ और अन्य मामलों में एक माह	शैक्षणिक के अलावा सभी मामलों में एक माह से अधिक पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-
13.	समूह 'ग' और समूह 'घ' के कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक या किराए के वाहन में यात्रा करने के लिए दैनिक भत्ते के माइलेज भत्ते के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगाना।	पूर्ण शक्तियाँ				
14.	अपने स्वयं और अन्य कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करना।	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-
15.	अनुपूरक नियम 209 के प्रावधानों को माफ करना और अवकाश के साथ छुट्टियों के संयोजन के बारे में अनुपूरक नियम 211 से प्रस्थान को अधिकृत करना।	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-
16.	(i) आकस्मिक अवकाश की मंजूरी	पूर्ण शक्तियाँ	निर्देशक की आकस्मिक छुट्टी।	-	-	-
	(ii) अवकाश की मंजूरी	समूह ख, ग, घ के लिए पूर्ण शक्तियाँ और क के लिए चार सप्ताह से अधिक नहीं।	समूह 'क' के लिए चार सप्ताह से अधिक के लिए पूर्ण शक्तियाँ और निर्देशक के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-
	(iii) विशेष विकलांगता अवकाश			पूर्ण शक्तियाँ	-	-

17.	यह निर्देश देना कि छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी को आवास के पोजेशन में माना जाएगा	मूल प्रतिनियुक्ति की अवधि या स्वीकृत अवकाश की अवधि के लिए पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	-
18.	आवास आवंटित करना	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-
19.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम 1958 के नियम 7 के अधीन पदों पर नियुक्तियाँ करने की शक्ति।	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-
19	(i) तदर्थ/अस्थायी	समूह ख, ग और घ के लिए पूर्ण शक्तियाँ और व्याख्याता, सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं।	संकाय पदों के अलावा सभी समूह 'क' पदों के लिए पूर्ण शक्ति। प्रोफेसर और अतिरिक्त प्रोफेसर के लिए एक साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं और व्याख्याता, सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक साल से अधिक की अवधि के लिए।	-	-	-
	(ii) स्थायी	समूह ग और घ पद	समूह ख पद	समूह क पद	-	-
20.	परिवीक्षा की अवधि के सफल समापन के बाद, समूह क और ख अधिकारियों की पुष्टि करने की शक्ति।	निदेशक के मामले में पूर्ण अधिकार	-	-	-	-
21.	समूह घ कर्मचारियों के इस्तीफे को स्वीकार करने की शक्ति	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-
22.	समूह "क" कर्मचारियों के इस्तीफे को स्वीकार करने की शक्तियाँ	प्रोफेसर और अतिरिक्त प्रोफेसर के मामले को छोड़कर सभी समूह "क" अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	निदेशक, प्रोफेसर और अतिरिक्त प्रोफेसर के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	-		निदेशक के मामले में संस्थान द्वारा अनुसमर्थन के अधीन
23.	बैठक, सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, संगोष्ठी में भाग लेने या लघु कार्य के लिए विदेश जाने के दौरान संस्थान के अधिकारियों को अनुमति देने की शक्ति	तीस दिनों की अवधि तक देय और अनुज्ञेय अवकाश के आधार पर निदेशक के मामले को छोड़कर पूर्ण शक्तियाँ, और संबंधित संकाय सदस्यों को बैठक के प्रायोजकों से उचित निमंत्रण मिलता है	कर्मचारियों के मामले में 30 दिनों की अवधि से अधिक के लिए पूर्ण शक्तियाँ और निदेशक के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	-		समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन

24.	फैकल्टी के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों/सेमिनारों/विदेश में सहभागिता में कार्य के रूप में अनुपस्थिति के निपटान हेतु शक्ति।	यात्रा सहित अधिकतम 15 दिनों तक पूर्ण शक्तियां	15 दिन की अवधि से परे पूर्ण शक्तियां	-	-	समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के शर्ताधीन
25.	ऐसे कर्मचारियों के लिए संस्थान में लियन को बनाए रखने की मंजूरी, जब वे कहीं और तैनात हैं।	समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए अधिकतम दो वर्षों, एक बार में एक वर्ष, तक पूर्ण शक्तियां	समूह "ख" पदों के लिए पूर्ण शक्तियां	समूह "क" पदों के लिए पूर्ण शक्तियां	-	-
26.	संस्थान के कर्मचारियों के वेतन का संबंधित नियमावली के अंतर्गत निर्धारण हेतु शक्ति	पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-
27.	संस्थान के अधिकारियों को संस्थान के कार्यों के संबंध में विदेश जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को मंजूरी देने की शक्ति और ड्यूटी के रूप में उनकी अनुपस्थिति का निपटान करने की शक्ति	30 दिनों तक उपलब्ध करायी गयी पूर्ण शक्तियों का कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है अपितु संस्थान के कार्य के संबंध में व्यतीत समयावधि को कार्य के रूप में देखा जा रहा है।	30 दिन की अवधि से परे पूर्ण शक्तियां	-	-	समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के शर्ताधीन
28.	यदि अनुसंधान अनुदान तीन वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं है तो इन्हें स्वीकृत करने की शक्ति	भारत सरकार की सामान्य नीति के अधीन पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-
29.	ऐसे मामलों में जहां शर्तें और अनुदेश सामान्य प्रकृति के हैं, केंद्रीय/राज्य सरकार के प्रतिनियुक्त अधिकारी के संबंध में विदेशी सेवा शर्तों पर शर्तें एवं अनुदेश स्वीकृत करने की शक्ति	पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-
30.	वरिष्ठ रेजिडेंटों/ट्यूटर्स की कालावधि के विस्तार प्रदान करने की शक्ति	पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-
31.	चयन समिति की सिफारिशों पर अग्रिम वृद्धि प्रदान करने की शक्ति	तीन अग्रिम वृद्धियों तक पूर्ण शक्ति	तीन अग्रिम वृद्धियों से परे पूर्ण शक्ति	-	-	-

32.	अनुसंधान स्कीमों के कर्मचारियों को संस्थान में नियमित पदों पर उनकी नियुक्ति किए जाने पर मूल नियमावली 27 के तहत अग्रिम वृद्धि प्रदान करने की शक्ति	प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-
33.	ऐसे मामलों में जहां जीवन निर्वाह भत्ता दैनिक भत्ते की प्रकृति में प्राप्त किया जाता है और इसमें मानदेय भी सम्मिलित होता है, में अनुपूरक नियमावली 12 के प्रावधानों में छूट देने की शक्ति	पूर्ण शक्तियां	-	-	समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के शर्ताधीन	-
34.	किसी संस्थागत कर्मचारी को एक मंत्रालीय कर्मचारी घोषित करना।	पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-
35.	किसी लियन को समाप्त करना।	पूर्ण शक्तियां व शर्तें वह व्यक्ति लियन पर धारित पद पर नियुक्ति लेने के लिए प्राधिकृत है।	सभी अन्य पदों के लिए पूर्ण शक्तियां	-	-	-
36.	संस्थान के लियन कर्मचारियों का एक पद से अन्य पद में स्थानांतरण करना।	पूर्ण शक्तियां व शर्तें वह व्यक्ति संबंधित दोनों पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।	सभी अन्य पदों के लिए पूर्ण शक्तियां	-	-	-
37.	संस्थान के कर्मचारियों का एक पद से अन्य पद में स्थानांतरण करना।	समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां	समूह ख, कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां	समूह 'क' कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां	-	-
38.	मूल नियमावली (9) (6) (ख) के अंतर्गत ड्यूटी पर माने गए किसी संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण	समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां	समूह 'क' कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां	-	-	-
39.	वेतन संवर्धन हेतु अतिविशिष्ट अवकाश की गणना	समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां	समूह 'क' कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां	-	-	-

40.	किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी के वेतन में कमी करने की शक्ति	समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां	समूह 'क' कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां				
41.	मानदेय प्रदान करना और स्वीकृति हेतु मंजूरी देना।	सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जारी किए गए मूल नियमावली के नियम 46 (ख) के प्रावधानों और समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार के आदेशों के अनुसार प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष अधिकतम 5000/- रु. तक के लिए पूर्ण शक्तियां। आवृत्ति मानदेयों के मामले में यह सीमा किसी एक वर्ष में किसी एक व्यक्ति को कुल आवृत्ति भुगतानों के लिए लागू होगी। समूह क और समूह ख कर्मचारियों के मामले में इस मामले की सूचना शासी निकाय को दी जाएगी।	-	-	-	-	
42.	किसी कर्मचारी को अस्थायी तौर पर एक से अधिक पद के लिए नियुक्ति और गौण पदों के वेतन तथा आहारित प्रतिपूर्ति भत्ते की राशि का निर्धारण करने की शक्ति।	केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान वर्गों के लिए लागू नियमों के अधीन पूर्ण शक्तियां	-	-	-	-	

43.	अंशकालिक कर्मचारियों को दी जाने वाले शुल्क की घोषणाकरना (यात्रा भत्ते के उद्देश्य हेतु)	पूर्ण अधिकार प्राप्त				
44.	दो या अधिक वाले तथा छोटे मार्ग तय करने हेतु	पूर्ण अधिकार प्राप्त				
45.	सबसे छोटे अथवा सबसे सस्ते मार्ग के अतिरिक्त माइलेज भत्ते की अनुमति हेतु	पूर्ण अधिकार के द्वारा मार्ग का अपना संसाधन के हित में होगा				
46.	किसी स्थान पर यात्रा के प्रारंभ या अंत का निर्धारण करना	पूर्ण अधिकार प्राप्त				
47.	यह घोषित करना कि कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 300/- रुपये प्रतिदिन से अधिक ना हो, वह स्टीमर में निवास हेतु पात्र है।	न्यूनतम वर्ग	-	-	-	-
48.	स्टीमर निवास की कठिनाई के संदेहास्पद मामले में निर्णय लेना, जिसके लिए संस्थान कर्मचारी योग्य है।	पूर्ण शक्तियाँ				
49.	छुट्टी से लौटने से पहले एक स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण पत्र की मांग का अधिकार।	पूर्ण अधिकार प्राप्त	निदेशक के मामले में पूर्ण अधिकार प्राप्त			
50.	अधिक निवास को कवर करने हेतु अवकाश विस्तार	पूर्ण अधिकारों के तहत यह प्रावधान है कि अवकाश प्राप्त कर्मचारी संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यभार ग्रहण करेंगे।	अन्य सभी मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त।	-	-	-
51.	भारत विदेशी सेवाओं में स्थानांतरण की मंजूरी देना और विदेशी सेवा में वेतन का निर्धारण करना	मौलिक तथा प्रतिपूरक नियम खंड 2 के पद तथा टेलीग्राफ पूरक के परिशिष्ट-4 में क्रम संख्या 30 में उल्लिखित कॉलम 4 में वर्णित नियमों के अनुपालन में ख, ग तथा घ समूह के संबंध में पूर्णतः अधिकार प्राप्त।	समूह क कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त	-	-	-

52.	सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन की तिथि निर्धारित करना जिसने विदेशी सेवा से पहले अवकाश लिया हो। तारीख तय करना जो विदेशी सेवा से प्रत्यावर्तन से पहले छुट्टी लेता है	पूर्ण अधिकार-प्राप्त	-	-	-	-
53.	सौंपे गए कार्य हेतु शुल्क की स्वीकृति की शक्ति तथा उस शुल्क की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार-प्राप्त	-	-	-	-
54.	नियमों की छूट देते हुए अधिकारियों की हवाई यात्रा	आपातकालीन तथा आवश्यकता के मामले में पूर्ण अधिकार-प्राप्त।	-	-	-	-
55.	सड़क माध्यम की सभी यात्राओं की क्षतिपूर्ति सहित संस्थान कर्मचारी के वेतन का भुगतान	समूह क, ख और ग समूह के मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त	समूह क कर्मचारियों के मामले में पूर्णतः अधिकार-प्राप्त			
56.	दस दिनों के लिए दौरे पर रोक को सीमित करने वाले नियम से छूट देने की शक्ति।	30 दिनों की सीमा तक पूर्ण शक्तियां	30 दिनों से अधिक तक की अवधि तक पूर्ण अधिकार प्राप्त	-	-	-
57.	संस्थान द्वारा कर्मचारी को यात्रा हेतु किराए तथा शुल्क राशि निर्धारण करने का अधिकार तथा इसके लिए सभी प्रकार की लागत का भुगतान।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त				
58.	जांच समिति में भाग लेने वाले गैर-अधिकारियों को यात्रा भत्ता देना तथा उनके ग्रेड निर्धारित करना।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-	-
59.	नियंत्रित अधिकारी की घोषणा करना तथा उनके दिशानिर्देश हेतु नियम बनाना	कोई भी संस्थान अपने नियंत्रण अधिकारी की घोषणा नहीं कर सकता।	-	-	-	-
60.	विशेष अयोग्यता अवकाश के अतिरिक्त अवकाश प्रदान करना।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त				
61.	जब कोई चिकित्सा बोर्ड यह रिपोर्ट देता है कि कोई व्यक्ति कार्यभार संभालने के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, उसे अवकाश प्रदान करना।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-	-

62.	किसी विशेष मामले में यह निर्णय लेना कि क्या कोई विशेष कर्मचारी किसी रिक्त विभाग में कार्यरत है अथवा नहीं।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-	-
63.	मातृत्व तथा अस्पताल अवकाश प्रदान करना	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-	-
64.	यात्री की सामान्य यात्रा के अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के समय की गणना हेतु मंजूरी प्रदान करना	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-	-
65.	कार्यभार ग्रहण करने के समय में 30 दिनों की अधिकतम अवधि तक विस्तार करना	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	तीस दिनों से अधिक हेतु भी पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-
66.	संस्थान के कर्मचारी को देश के किसी भी हिस्से में जाकर उसको कार्य करने की अनुमति प्रदान करना		समूह 'क' के कर्मचारियों के मामले में पूर्ण अधिकार प्राप्त	-	-	-
67.	कर्मचारियों की सेवा रोल में जन्म तिथि की क्लर्क संबंधी गलतियों में सुधार।	समूह 'ग' और "घ" कर्मचारियों के मामले में पूर्णतः अधिकार प्राप्त	समूह 'क' और "ख" कर्मचारियों के मामले में पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-
68.	3 वर्ष से कम तथा 6 वर्ष से अधिक बकाया के भुगतान के दावों की जांच की मंजूरी के अधिकार।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	अन्य मामलों में पूर्णतः अधिकार प्राप्त।	-	-	-
69.	निदेशक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के संबंध में स्थाई स्कीम के भुगतान की मंजूरी।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	निदेशक के मामले में पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-
70.	आकस्मिक व्यय के मामले में अधीनस्थ प्राधिकारियों को निदेश जारी करने के अधिकार।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-	-
71.	अप्रचलित अधिशेष तथा अप्रतिरोह्य स्टोर का निष्कासन।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	निदेशक, कंडमनेशन बोर्ड जो संस्थान द्वारा गठित इस प्रयोजन के लिए है की सलाह पर कार्य करेगा।	-
72.	अन्य मामलों में संस्थान के कर्मचारियों का अग्रिम भुगतान की शर्तों का बदलने का अधिकार।	उन मामलों में जहां निदेशक अनुदान की स्वीकृति हेतु सक्षम है वहां ब्याज वाले अग्रिम भुगतान की वृद्धि में विस्तार नहीं किया जा सकता।	अन्य सभी मामले	-	-	-

73.	वाहन खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी।	सामान्य वित्त नियम के 2018 के नियम 199 में निर्धारित शर्तों तथा नियमों के अनुपालन में संस्थान में स्थाई पदों के कर्मचारियों के मामले में पूर्ण अधिकार।	-	-	-	-
74.	संस्थान से प्राप्त अग्रिम से खरीदे गए वाहनों की बिक्री तथा हस्तांतरण करने का अधिकार।	सामान्य वित्त नियम के नियम-256 के खंड (2) में वर्णित मामलों में पूर्ण अधिकार।	-	-	-	-
75.	साईकिल की खरीद हेतु दिए गए अग्रिम की अधिकतम 24 किशतों से अधिक किशतों का पुनः भुगतान संस्थान को करने का अधिकार।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त				
76.	यात्रा, स्थानांतरण हेतु संस्थान कर्मचारियों को अग्रिम राशि की मंजूरी का अधिकार	सामान्य वित्त नियमों के नियम 234 के 231 में निर्धारित शर्तों के आधार पर सरकार में स्थाई तथा अस्थायी कर्मचारियों के मामले में पूर्ण अधिकार।	-	-	-	-
77.	उस संस्थान को मुकदमें के लिए अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति जिसमें संस्थान एक पक्षकार है।		-	-	-	-
78.	रोकड़, भंडार आदि रखने वाली अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सुरक्षाबंद पत्र अवधि निर्धारित करने की शक्ति।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-	-
79.	ट्रेजरी नियमावली के तहत महत्वपूर्ण त्योहारों को अग्रिम राशि के भुगतान करने की शक्ति।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त	-	-	-	-
80.	संस्थान के धन की सुरक्षा से संबंधित नियम 109(i) के प्रावधानों के तहत प्रस्थान की शक्ति।	पूर्णतः अधिकार प्राप्त		-	-	-

अनुसूची II
(विनियमन 33 देखें)

संस्थान में विभिन्न पदों हेतु नियुक्ति, अनुशासनात्मक तथा अपीलीय प्राधिकारी

क्र.सं.	पद का विवरण	नियुक्त प्राधिकारी	केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) प्राधिकरण 1965 के नियम-11, संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंड दिया जा सकता है।		अपीलीय प्राधिकारी
			अनुशासनात्मक प्राधिकरण	केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम-11 के तहत दंड	
1	2	3	4	5	6
1	समूह 'क' पद (i) निदेशक	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान नियम - 7	संस्थान	सभी केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से (v) से (ix) दंड नहीं दिए जा सकते।	
	(ii) अन्य पद	शासकीय निकाय	(क) शासी निकाय (ख) अध्यक्ष	(क) सभी दंड (ख) (i) से (iv) दंड	(क) संस्थान शासकीय निकाय
2	समूह 'ख' के पद	अध्यक्ष	(ग) अध्यक्ष (घ) निदेशक	(ग) सभी दंड (घ) (i) से (iv) दंड	(ख) शासी निकाय (ग) अध्यक्ष
3	समूह 'ग' के पद	निदेशक	(क) निदेशक	(क) सभी दंड	(क) अध्यक्ष
4	समूह 'घ' के पद	निदेशक	(क) निदेशक (ख) उप निदेशक (प्रशासन) निम्न (ग) तथा (घ) में दिए गए कर्मचारियों के अतिरिक्त संस्थान के कर्मचारियों के मामले में (ग) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान के मामले में चिकित्सा अधीक्षक (घ) मुख्य संयोजक, डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेत्र रोग विज्ञान केंद्र तथा संबद्ध केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में संस्थान द्वारा स्थापित अन्य केन्द्र।	(क) सभी दंड (बी) जुर्माना (i) से (iv) (ग) (i) से (iv) दंड (घ) (i) से (iv) दंड	(क) अध्यक्ष (ख) निदेशक (ग) निदेशक (घ) निदेशक

- (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष शासकीय निकाय के अनुमोदन प्राप्त होने पर चार्जशीट, दोषारोपण के विवरण, दंड तथा आदेशों का स्थगन हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक की प्राधिकृति अथवा जैसा भी मामला हो। सूचना, चार्जशीट तथा दोषारोपण के विवरणों पर शासकीय निकाय अथवा अध्यक्ष की ओर से निदेशक द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए अथवा जो भी मामला हो तथा इन दस्तावेजों में यह तथ्य उल्लिखित होना चाहिए। इन दस्तावेजों पर "अध्यक्ष निकाय के आदेश द्वारा" अथवा "अध्यक्ष" अथवा "शासकीय निकाय अनुमोदन से" अथवा "अध्यक्ष" जैसे वाक्यांशों का उपयोग किये जा सकते हैं।
- (ii) चूंकि शासकीय निकाय की बैठकें अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, इसलिए 'क' समूह के कर्मचारियों तथा संकाय सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने हेतु शासकीय निकाय के अध्यक्ष प्राधिकृत हैं तथा दंड पर अंतिम निर्णय शासकीय निकाय की बैठक में लिया जाएगा।

संस्थान के प्राधिकार द्वारा

रणदीप गुलेरिया, निदेशक

[विज्ञापन—III/4/असाधारण/248/19]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2019

F. No. 14-3/69(98)/Coordination Cell/Estt.(Part-II) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) and in supersession of the All India Institute of Medical Sciences Regulations, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Institute with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

1.	Short title and commencement. —(1)These regulations may be called the All India Institute of Medical Sciences Regulations, 2019. (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2.	Definitions. — (1) In the regulations, unless the context otherwise requires, — (a) “Act” means the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956); (b) “Chairman” means the Chairman of the Governing Body under sub-section (3) of section 10 of the Act; (c) “Deputy Director” means the Deputy Director (Administration) of the Institute; (d) “Director” means the Director of the Institute appointed under sub-section (1) of section 11 of the Act; (e) “Fundamental Rules” means the fundamental rules as applicable to Central Government Servants; (f) “General Financial Rules” means the General Financial Rules, 2017 framed and as amended from time to time by the Central Government for financial management and control; (g) “President” means the President of the Institute nominated by the Central Government under sub-section (1) of section 7 of the Act; (h) “Rules” means the rules framed by the Central Government under sub-section (1) of the section 28 of the Act; (i) “Schedule” means a Schedule annexed to these regulations; (j) “Secretary” means a Secretary of the Institute and the Governing Body; (k) “Supplementary Rules” means the Supplementary Rules as applicable to Government servants who are subject to the Fundamental Rules; (l) “Treasury Rules” means the Treasury Rules of the Central Government.

	(2) Words and phrases used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them.
3.	Powers and Functions of the President. —The President shall exercise such powers and discharge such functions as are laid down in the Act, the rules and these regulations including Schedule I.
4.	<p>Meetings of the Institute.—</p> <p>(1) The Institute may meet as often as may be considered necessary by the President for the transaction of the business of the Institute but shall meet at least twice a year.</p> <p>(2) (a) Meeting of the Institute shall be held at the date and time as may be fixed by the President. (b) The Proceedings of the meeting shall be circulated to all the members of the Institute by the Director after obtaining the approval of the President and a period of seven days will be given to the members to confirm the proceedings. (c) All proceedings of meetings of the Institute shall be entered in a Minutes Book to be maintained by the Secretary for the purpose and each minute shall be signed by the President of that meeting after the same is duly confirmed by the member present.</p> <p>(3) For a ordinary meeting of the Institute a notice specifying the place, date and time of the meeting shall be given by the Secretary to the members at least two weeks prior to the date of such meeting either electronically or by speed post. The agenda shall also be sent alongwith the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least ten days before the meeting either electronically or by speed post.</p> <p>(4) An extraordinary meeting of the Institute may be called by the President at any time for the transaction of urgent business of the Institute.</p> <p>(5) For extraordinary meetings, notices specifying the place, date and time of the meeting shall be sent by the Secretary to the President and the members at least five days before the date of the meeting, under a certificate of posting, if sent by post, or by electronically or by speed post. The agenda shall be sent either electronically or by speed post, at least three days before the meeting.</p> <p>(6) An extraordinary meeting of the Institute may be called on a written request of not less than nine members of the Institute within seven days of the receipt of the requisition and the request made by members requisitioned meeting shall indicate the purpose of the meeting.</p> <p>(7) In the absence of the President at any meeting of the Institute, the members present shall elect a person from among themselves to preside over such meeting.</p> <p>(8) The quorum for a meeting of the Institute shall be seven.</p> <p>(9) The President may include in the agenda at any time before or during a meeting (i) fresh items of business; (ii) items supplementary to those included in the agenda; and such items shall also be taken up for consideration.</p> <p>(10) Any member desirous of moving any resolution at a meeting of the Institute shall give notice thereof in writing to the Secretary so as to reach him not less than fourteen days before the date of the meeting. When such notice has been given, the proposed resolution shall be circulated immediately by the Secretary to the members and be included in the agenda.</p> <p>(11) Members can also participate in the meeting through video conference, after obtaining the prior approval of the Chairman and such participation through video conference will be counted for the purpose of the quorum.</p> <p>(12) If any non-official member nominated to the Institute does not participate in three consecutive meetings of the Institute or Governing Body or Standing Committees without any valid reason to the satisfaction of President, his membership shall be terminated with the approval of the President.</p> <p>(13) No subject disposed of by the Institute at a meeting shall be brought up again for consideration until after the expiry of one year except in a case where the President or Government certifies that the subject required further consideration in the interest of the Institute.</p> <p>(14) A decision given by the President of the meeting on a point of order raised by a member shall be final.</p> <p>(15) All decisions of the Institute shall be taken on a majority vote and in case of equality of votes the President shall have a casting vote.</p> <p>(16) Any business of the Institute may be transacted by circulation of papers to the members and the President and acted upon, if unanimously approved. The resolution and the action taken thereon shall be placed before the next meeting of the Institute for confirmation.</p>
5.	<p>Constitution of the Governing Body. —The Governing Body shall consist of the following eleven members, namely: -</p> <p>(a) President of the Institute. Chairman;</p> <p>(b) Director General of Health Services. Ex-Officio Member;</p>

	<p>(c) Representative of the Ministry of Finance.</p> <p>(d) Director, All India Institute of Medical Sciences.</p> <p>(e) One member elected by the members of the Institute from amongst the three members of the Parliament elected to the Institute.</p> <p>(f) Six members to be elected by the members of the Institute from amongst themselves.</p> <p>(g) Following permanent Special Invitees: -</p> <p>(i) Additional Secretary (in the Ministry of Health and Family Welfare in charge of the Institute);</p> <p>(ii) Joint Secretary (in the Ministry of Health and Family Welfare in charge of the Institute);</p> <p>(iii) Dean (Academics);</p> <p>(iv) Deputy Director (Administration.);</p> <p>(v) Senior Financial Advisor.</p>	Ex Officio Member; Member
6.	Powers and functions of Governing Body. —The Governing Body shall exercise such powers and discharge such functions as are laid down in these regulations including Schedule I.	
7.	Powers and functions of Chairman. —The Chairman shall exercise such powers and discharge such functions are laid down in these regulations.	
8.	<p>Meetings of Governing Body.—(1) The Governing Body may meet as often as may be considered necessary by the Chairman for transaction of its business, but shall ordinarily meet at least thrice a year preferably in the month of January, May and September.</p> <p>(2) The proceedings of the meeting shall be circulated to the members of the Governing Body by the Director after obtaining the approval of the Chairman. A period of fourteen days will be given to the members to confirm the proceedings.</p> <p>(3) All Proceedings of meetings of the Governing Body shall be entered in a Minute Book to be maintained by the Secretary for the purpose and all minutes shall be signed by the Chairman of the meeting after the same is duly confirmed by the members present.</p> <p>(4) An extraordinary meeting of the Governing Body shall be called on a written requisition by at least six members of the Governing Body or by the Chairman.</p> <p>(5) Notice of every meeting of the Governing Body shall be sent by the Secretary to the members of the Governing Body, in the case of an ordinary meeting at least fourteen days and in the case of an extraordinary meeting at least seven days, before the date of the meeting either electronically or by speed post under certificate of posting when sent by post. The agenda of meetings shall be sent under certificate of posting if sent by post or electronically or by speed post at least ten days and five days respectively, before the date of the meeting.</p> <p>(6) In the absence of the Chairman at any meeting, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside at the meeting.</p> <p>(7) Five members shall form the quorum, members can also participate in the meeting through video conference, after obtaining the prior approval of the Chairman and such participation through video conference will be counted for the purpose of the quorum.</p> <p>(8) All decisions of the Governing Body shall be taken by a majority vote. In case of equality of votes the chairman shall have a casting vote.</p> <p>(9) Any member desirous of moving any resolution at a meeting of the Governing Body shall give notice thereof in writing to the Secretary so as to reach him not less than seven days before the date of such meeting. Such notice when received shall be circulated immediately by the Secretary to the members and be included in the agenda of the meeting.</p> <p>(10) Any matter not included in the agenda and of which the notice mentioned in sub- regulation (9) has not been given may be considered at a meeting of the Governing Body with the permission of the Chairman.</p> <p>(11) Any business of the Governing Body may be transacted by circulation of papers to the members and Chairman and acted upon if unanimously agreed to. The decision and the action taken thereon shall be placed before the next meeting of the Governing Body for confirmation. In case the resolution is not confirmed by the Governing Body in the next meeting, the action already taken in compliance of the resolution circulated and agreed to by the members shall be valid.</p> <p>(12) If a non-official member nominated in the Governing Body remains absent in three consecutive meetings without any valid reason, his membership shall be terminated with the approval of the Chairman.</p>	
9.	Terms of office of members of Governing Body. —(1) The term of office of a member other than an ex-office	

	<p>member of the Governing Body shall be five years subject to his continuance as a member of the Institute and an out-going member shall be eligible for re-election.</p> <p>(2) Casual vacancies of elected members shall be filled by election by the Institute for the remaining period of the vacancy.</p>
10.	<p>Allowance to the Chairman and members of the Governing Body, standing committee and ad-hoc committee.—(1) The Chairman and the members of the Governing Body, the Standing Committees, and ad-hoc committees shall not receive any pay, fee, remuneration or other allowance except travelling and daily allowance for attending meetings.</p> <p>(2) The Chairman and the members of the Governing Body and of the standing and ad-hoc committees, if they are officers of the Central or a State Government shall be paid travelling and daily allowances by the Institute at the rate admissible to them as officers of the Central or the State Government.</p> <p>(3) In the case of Chairman and the members of the Governing Body and of standing and ad-hoc committees other than those mentioned in sub-regulation (2), travelling allowance and daily allowance shall be paid at the rates to which they are entitled as per rules of the organisation in which they are working or those prescribed from time to time by the Central Government under Supplementary Rules and the executive decision and orders there under, whichever is more.</p> <p>(4) The President may, for special reasons, sanction journeys by air not otherwise admissible by members of the Governing Body and of Standing and ad-hoc committee for such journeys travelling allowance shall be paid at rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government.</p>
11.	<p>Powers and duties of Director. —The Director shall be the Head of Institute in terms of sub-rule (10) of rule 2 of the Supplementary Rules and shall exercise the powers of Head of Institute and discharge the following duties, namely: -</p> <p>(a) he shall be in-charge of the administration of the Institute. He shall allocate duties to the officers and employees of the Institute and shall exercise such supervision and executive control as may be necessary subject to the rules and these regulations;</p> <p>(b) he shall exercise the powers specified in Schedule I to these regulations;</p> <p>(c) he shall have the powers to delegate any of his powers to the officers on the administrative side subject to such limitations as may be imposed by the Governing Body.</p>
12.	<p>Procedure in conducting business of Standing Committees. —</p> <p>(1) All standing committees shall be advisory committees.</p> <p>(2) Fifty per cent of the members shall form the quorum for all standing committee. Members can also participate in the meeting through video conference, after obtaining the prior approval of the Chairman and such participation through video conference will be counted for the purpose of the quorum. In the case of Standing Selection Committee or Combined Selection Committee or Regional selection Committee, the two experts shall also be counted for purpose of determining the quorum.</p>
13.	<p>Building and lands belonging to the Institute.— (1) The Institute shall use its lands and buildings for the purposes of the Institute.</p> <p>(2) The allotment and the assessment and recovery of rent of buildings shall as far as may be made by the Director in accordance with the provisions of rules 45A, 45B and 45C of Fundamental Rules and the Supplementary Rules.</p> <p>(3) Every employee of the Institute, if offered residential accommodation in the premises of the Institute shall stay in that residence and pay thereof such rent and other charges as may be fixed by the Institute.</p>
14.	<p>Powers to award prizes, scholarships.—The Institute may award such prizes, souvenirs, stipends and scholarships to its students as may be decided by the Governing Body from time to time.</p>
15.	<p>Procedure for appointment of Dean and Associate Dean.— (1) There shall be three Deans, namely, Dean (Academic), Dean (Research) and Dean (Examination). A Professor and Head of Department shall be appointed as Dean by the Institute taking into consideration the seniority in consultation with the Director.</p> <p>(2) There shall be three Associate Deans, namely, Associate Dean (Academic), Associate Dean (Research), and Associate Dean (Examination). Any faculty (Additional Professor or above) can be appointed as Associate Dean by the Institute in consultation with Director. The Associate Dean (Academic) and Associate Dean (Research) shall be appointed from medical faculty only.</p> <p>(3) The tenure of the Dean and Associate Dean shall be for a maximum period of three years and further extendable for one more term by the Institute in consultation with Director of the Institute.</p> <p>(4) The Deans and Associate Deans shall be appointed from existing faculty members and no additional remuneration shall be paid unless as approved from time to time by the Government of India.</p>
16.	<p>Professorships.—The Institute may create and appoint persons to Professorships, Additional Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, Lectureships, Professor cum Principal to College of Nursing, Professor cum Vice Principal to College of Nursing, Associate Professor in Nursing, assistant professor in Nursing and other posts. No post shall be created without the approval of the Government of India.</p>
17.	<p>Power to arrange lectures. —The Institute may invite experts to deliver lectures in the Institute from time to</p>

	time on payment of suitable fees or honoraria and pay them travelling allowance at the rates admissible to Central Government employees of similar status for their journey within India.
18.	Fee and other charges. —All fee and other charges payable by the candidates selected for admission to various courses of Institute shall be as recommended by Academic Committee and approved by the Standing Finance Committee, Governing Body and Institute from time to time.
19.	Admission to courses of studies. —The reservation for the Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes(ST), Other Backward Classes(OBC), Economically Weaker Sections (EWS) and other categories shall be as per policy laid down by the Government of India from time to time.
20.	Award of degrees. —The Institute may grant MBBS, MD, MS, Ph-D, DM, M.Ch, MHA, MDS, Fellowship, M.Sc, M. Biotech, B.Sc. (Honours) Human Biology, B.Sc. (Honours) Nursing, B.Sc. Nursing (Post-certificate), B.Sc. (Honours) in paramedical subjects and any other degrees as the Institute may consider desirable with the approval of Standing Academic Committee of the Institute and ratification by the Governing Body .
21.	Conduct of examination (academic as well as recruitment). —Such number of supervisors, invigilators, examiners (internal or external) and other staff as may be necessary for conducting the examination, paper setting, examination of answer books or thesis, oral and practical of the Institute, may be appointed by the Director and paid remuneration, as recommended by the Academic Committee and approved by the Standing Finance Committee, Governing Body and the Institute from time to time.
22.	Whole time Employees. —Unless, in any case, otherwise it is distinctly provided, the whole time of an employee of the Institute shall be at the disposal of the Institute and he may be employed in any manner as required by the proper authority of the Institute without claim for additional remuneration.
23.	Permanent and Temporary Posts. — (1) The posts in the service of the Institute shall be permanent post that is a post carrying a definite rate of pay sanctioned without any limit of time or a temporary post that is a post carrying a definite rate of pay sanctioned for a limited time. A person occupying a permanent post, on appointment to a higher position for a specified period, shall be allowed to retain his lien in the previous post initially for a maximum of five years, extendable for two years or premature repatriation. (2) Temporary posts of Resident Doctors shall be governed by the Residency Scheme of the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India as modified from time to time.
24.	Qualifications for appointment. — (1) Age, experience and other qualifications for appointment to a post under the Institute shall be prescribed by the appointing authority keeping in view the qualifications and experience prescribed by the Central Government for similar posts before applications of candidates are called for subject to the condition that non-medical personnel shall not be appointed to the post of Director to be notified separately from time to time after approval of the appointing authority. (2) The Director shall, in filling vacancies in posts and services, under the Institute, make such reservations, in favour of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other categories as may be made by the Central Government from time to time, in filling vacancies in posts and services under the Central Government.
25.	Period of probation. —Unless otherwise decided by the appointing authority in any case, all employees shall be on probation for two years. During the period of probation, the employee shall be required to put in satisfactory service failing which his services shall be liable to termination at any time without any notice or reason being assigned for the same. The appointing authority may, however, extend the period of probation.
26.	Seniority. — The seniority of employees of the Institute in each category shall be determined by the order of merit in which they were selected for appointment to the post in question, those selected on an earlier occasion being ranked senior to those selected later.
27.	Leave. — (1) Temporary and permanent employees of the Institute shall be entitled to such leave and leave salary as are admissible to the corresponding categories of the Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972: Provided that for the purpose of the Central Government Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the following categories of teaching staff in the Institute or any other post declared as academic post by the standing academic committee and ratified by the Governing Body from time to time shall be treated as serving in the vacation Department, namely:- (1) Professor, (2) Additional Professor, (3) Associate Professor, (4) Assistant Professor, (5) Medical Superintendent, (6) Additional Medical Superintendent, (7) Principal, College of Nursing, (8) Lecturers in Nursing, (9) Senior Nursing Tutors, and (10) Tutors in Nursing: (2) The regular vacation for the purpose shall be as may be decided by the Governing Body from time to time:

	Provided that an incumbent on deputation to the Institute as on foreign service shall be governed by the leave rules as may be stipulated in the conditions of their deputation.
28.	<p>Pension and Contributory Provident Fund.— (1)The employees of the Institute, except those on deputation on foreign service to the Institute, appointed on or after 12th September, 1975 and such employees as were appointed prior to this date but have specifically opted for the General Provident Fund and pensionary benefits as applicable to the Central Government employees shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.</p> <p>(2) With effect from 1st January, 2004, the date on which the New Pension Scheme was introduced, all new entrants who joined the service of the Institute on or after 1st January, 2004, shall be governed by the New Pension Scheme.</p>
29.	<p>Absence from duty. — Unless otherwise decided by the President in exceptional circumstances, no permanent employees of the Institute shall be away from his post, otherwise than on leave or because of suspension, for periods and purposes stated in the guidelines approved in this regard from time to time by the Governing Body.</p>
30.	<p>Superannuation. —</p> <p>(1) The age of superannuation of an employee of the Institute other than teaching faculty shall be sixty years or as specified by the Government of India from time to time:</p> <p>Provided that the scientific specialists may be granted extension in service, on a case to case basis upto the age of sixty-two years in the case of persons who are exceptionally talented for reasons to be recorded in writing and subject to physical fitness and continued efficiency of the person concerned.</p> <p>(2) The age of superannuation of a member of the teaching faculty of the Institute shall be sixty-five years or as specified by the Government of India from time to time.</p> <p>(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) and (2), the appointing authority shall be of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any employee of the Institute by giving him a notice of not less than three months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice —</p> <p>(i) if he is in Group A or Group B service or post and had entered the service of the Institute before attaining the age of thirty-five years, after he has attained the age fifty years; and</p> <p>(ii) in any other case, after he has attained the age of fifty-five years:</p> <p>Provided that nothing in this sub-regulation shall apply to an employee in Group D service or post who entered the service on or before the 1st December, 1962</p> <p>(4) Any employee of the Institute may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from the service after he has attained the age of fifty years, if he is in Group A or Group B service or post and had entered the service of the Institute before attaining the age of thirty-five years, and in all other cases after he has attained the age of fifty-five years:</p> <p>Provided that, —</p> <p>(a) nothing in this sub-regulation shall apply to an employee in Group D service or post who entered service on or before the 1st December, 1962;</p> <p>(b) it shall be open to the appointing authority to withhold permission to an employee under suspension who seeks to retire under this sub-regulation.</p> <p>Explanation.—In this regulation the expression “member of the teaching faculty” means the Professor, Additional Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Medical Superintendent, Additional Medical Superintendent, Principal of College of Nursing, Lecturer in Nursing, Senior Nursing Tutor and Tutor in Nursing and other employees of the Institute as may be declared to be members of the teaching faculty by the Central Government from time to time.</p>
31.	<p>Term of office of Director. —(1)The Director shall have a term of five years from the date of assumption of charge of the post or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.</p> <p>(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Institute shall, if it is of the opinion that it is in the public interest to do so, have the right to terminate the term of office of Director at any time before the expiry of his term by giving him a notice of not less than three months in writing or three months salary and allowances in lieu thereof. The Director shall also have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the fixed term by giving to the Institute a notice of not less than three months in writing.</p>
32.	<p>Age at recruitment. —The maximum age of a candidate at the time of recruitment to the service of the Institute shall normally be fifty years for teaching posts and thirty years for non teaching posts or as indicated in the recruitment rules for each post (except for Senior Demonstrators or Senior Residents in all Departments of the All India Institute of Medical Sciences where it shall be thirty-three years or as recommended by the Standing Academic Committee from time to time). This limit is relaxable by the Governing Body.</p>
33.	<p>Conduct, discipline and penalties. —(1)The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 as modified from time to time, shall apply to the employees of the Institute.</p>

	<p>(2) Part IV (Suspension), Part V (Penalties and Disciplinary Authorities) Part VI (Procedure for imposing penalties), Part VII (Appeals) and Part VIII (Review) of the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as modified from time to time, shall apply to the employees of the Institute:</p> <p>Provided that for the purpose of this regulation, —</p> <p>(a) Group A, Group B, Group C and D post in the Institute shall correspond to the Central Civil Services Group A, Group B, Group C and Group D post respectively;</p> <p>(b) the Appointing Authority, the disciplinary Authority for the penalties that may be imposed and the Appellate Authority for the various posts in the Institute shall be as prescribed in Schedule II;</p> <p>(c) in respect of Central or State Government servants borrowed by the Institute, the provision respectively of rules 20 and 21 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply and the Institute shall exercise the functions of the Central or State Government, as the case may be, for the purpose of these rules;</p> <p>(d) no consultation with the Union Public Service Commission shall be necessary in any case.</p>
34.	<p>Medical facilities for employees.—(1) The employees of the Institute including deputationists and members of their families shall be entitled to medical aid as admissible under the All India Institute of Medical Sciences Staff Health Scheme. They shall also pay such contribution as are required under that Scheme.</p> <p>(2) In the case of retired employees of the Institute and members of their families as well as those employees and their family members who avail medical facilities in places other than the place of the Institute, the Central Services Medical Attendants Rules, 1944 as amended from time to time, shall apply. In case of any difficulty, the re-imbursement of medical expenses incurred in such cases be done as per applicable rates of Central Government Health Scheme.</p>
35.	<p>Other conditions of service. —In respect of matters not provided for in these regulations, the rules as applicable to the Central Government servants regarding the general conditions of service, pay, allowances including travelling and daily allowances, leave salary, joining time, foreign service terms and orders and decisions issued in this regard by the Central Government from time to time shall apply to the employees of the Institute.</p>
36.	<p>Allotment of Institute residence to employees.—The employees of the Institute shall be entitled to the allotment of residences at the All India Institute of Medical Sciences in accordance with the provisions laid down by the Institute from time to time.</p>

SCHEDULE I

(See regulations 3, 6 and 11)

Extent of Powers

Sl. No.	Nature of Powers	Director	President	Governing Body	Institute	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Powers of re-appropriation of funds from sanctioned budget	Full Powers	-	-	-	Report of any re-appropriation shall be placed before the Governing Body for approval in its subsequent meeting.
2.	(a) (i) Write off of loss of irrecoverable value of stores of public money due to fraud.	Up to Rs. 2,000/- in each case	Rs. 10,000/- in each case	Rs. 20,000/- in each case	Full powers	
	(b) Loss of revenue or of irrecoverable advance					
	(c) Deficiencies and depreciation in value of stores					

3.	To incur (i) contingent expenditure, or (ii) expenditure on the purchase of stores and stationery and printing of forms.	Full powers within the sanctioned budget.	-	-	-	-
4.	Maintenance of Building and petty works:-	--		-	-	-
	(a) Original works and special repairs	Rs.20,000/ in each case subject to maximum of Rs. One lakh per year	Rs. 50,000/- in each case subject to maximum of Rs. 2.5 lakh per year	-	-	-
	(b) Ordinary repairs	Full powers for minor repairs (not annual repairs)	-	-	-	-
	(c) Annual repairs	Full powers	-	-	-	-
5.	Power to sanction recoverable advances	Full powers in respect of all officers and employees except himself	In case of Director	-	-	-
6.	Power to sanction advances/Final withdrawal out of the Contributory/ General Provident Fund	Full Powers in respect of all officers and employees except himself	In case of Director	-	-	-
7.	Destruction of official records connected with accounts	Full powers subject to the conditions laid down in Appendix 13 to the General Finance Rules	-	-	-	-
8.	Power to direct the payment on the last working day of a month that the pay and allowances of employees of the Institute's where the first four day of the following month are public holiday	Full powers	-	-	-	-
9.	Power to order the retention of undisbursed pay and allowances of establishment for any period not exceeding three months	Full powers	-	-	-	-
10.	To allow mileage allowance by a route other than the shortest or the cheapest	Full Powers provided selection of the route is in Institute's interest.	-	-	-	-

11.	To permit Group 'D' employees to draw next higher class Railway fare when accompanying an officer on train which provides No. II class	Full powers				
12.	To decide whether a particular absence is absence on duty within the country	Full powers for academic purposes and one month in other cases	Full powers beyond one month in all cases other than academic	-	-	-
13.	To impose restrictions on the exchange of daily allowances mileage allowance by Group 'C' and Group 'D' employees, travelling in a public or hired conveyance.	Full powers				
14.	To countersign his own travelling allowance bills and those of other employees	Full powers	-	-	-	-
15.	To waive provision (s) to Supplementary Rule 209 and to authorise departures from Supplementary Rule 211 regarding combination of holidays with leave.	Full powers	-	-	-	-
16.	(i) Grant of Casual Leave	Full powers	Casual Leave of the Director.	-	-	-
	(ii) Grant of Leave	Full powers for Group B, C, D, and not more than four weeks for Group A	Full powers for Group 'A' for more than four weeks and full powers in the case of the Director	-	-	-
	(iii) Special disability leave			Full powers	-	-
17.	To direct that an officer on leave shall be considered to be in occupation of a residence	Full powers for the period of original deputation or the period of leave sanctioned	-	Full powers	-	-

18.	To allot residence	Full powers	-	-	-	-
19.	Power to make appointments to posts subject to rule 7 of the All India Institute of Medical Sciences Rules, 1958.	Full powers	-	-	-	-
19	(i) Ad-hoc/ Temporary	Full powers for Group B, C, & D posts lecturers Assistant Professors and Associate Professors not exceeding a period of one year.	Full power for all Group 'A' posts other than Faculty posts. Professor and Additional Professor for a period not exceeding one year and Lecturers, Assistant Professor and Associate Professor for a period exceeding one year.	-	-	-
	(ii) Permanent	Group C and D post	Group B posts	Group A posts	-	-
20.	Power to confirm Group A & B officers, after successful completion of the period of probation.	Full powers except in the case of the Director	-	-	-	-
21.	Power to accept resignation of Group Employees	Full powers	-	-	-	-
22.	Powers to accept resignation of Group "A" employees	Full powers in respect of all Group "A" officers except in case of Professor and Additional Professor	Full powers in case of Director, Professor and Additional Professor	-		In the case of Director subject to ratification by the Institute

23.	Power to permit the officers of the Institute while going abroad for attending meeting, conference, seminar, workshop, symposia or for short assignments	Full powers except in the case of Director on the basis of leave of the kind due and admissible upto the period of thirty days, and that the faculty members concerned receives proper invitations from the sponsors of the meeting	Full powers beyond a period of 30 days in the case of employees and full powers in respect of Director	-		Subject to directions issued by the Central Government from time to time
24.	Power for treating the absence as on duty for participation in the International scientific conferences/symposia/seminars/abroad by the members of the Faculty	Full powers up to a maximum of fifteen days inclusive of travel	Full powers beyond a period of fifteen days	-		Subject to directions issued by the Central Government from time to time
25.	Power to allow retention of lien in the Institute for employees when they are appointed elsewhere	Full powers for Group C & D posts up to a maximum of two years. One year at a time	Full powers for Group "B" Posts	Full Powers for Group 'A' posts	-	-
26.	Power for fixation of pay of Institute employees under the Rules	Full powers	-	-	-	-
27.	Power to permit the officers of the Institute to go abroad in connection with the work of the Institute and treatment of absence as on duty	Full powers up to thirty days provided there are no financial implications other than the periods spent in connection with the work of the institute being treated as on duty	Full powers beyond a period of thirty days			Subject to directions issued by the Central Government from time to time
28.	Power to accept Research grant if these are for durations not exceeding three years.	Full powers subject to the general policy of Government of India	-	-	-	

29.	Power to accept the terms and conditions on foreign service terms in respect of a deputationist of Central/State Government where the terms are of usual nature	Full powers	-	-	-	-
30.	Power to grant extension of tenure of senior Residents/Tutors.	Full powers	-	-	-	-
31.	Power to grant advance increments on the recommendations of the selection committee	Full power up to three advance increments	Full powers beyond three advance increments	-	-	-
32.	Power to grant advance increment under Fundamental Rules 27 to employees of Research Schemes on their appointment to regular posts in the Institute	Full powers on to the merit of each case	-	-	-	-
33.	Power to relax the provision of Supplementary Rule 12 where the subsistence allowance to be received is in the nature of daily allowance and an honorarium is involved	Full powers	-	-	Subject to the directions issued by the Central Government from time to time	-
34.	To declare an Institute employees to be a ministerial servant	Full powers	-	-	-	-
35.	To suspend a lien	Full powers provided that he is authorised to take appointments to the posts on which the lien is held	Full powers for all other posts	-	-	-
36.	To transfer the lien of an Institute employees from one post to another	Full powers provided that he is authorised to make appointment to both the posts concerned	Full powers for all other posts	-	-	-
37.	To transfer an Institute employee from one post to another	Full powers in the case of Group B, C & D employees	Full powers in case of group B employees	Full powers in case of group A employees	-	-

38.	Fixation of pay and allowances of an Institute employees treated as on duty under Fundamental Rule (9) (6) (b)	Full powers in the case of B, C & D employees	Full powers in case of Group 'A' employees	-	-	-
39.	Counting extraordinary leave for increments.	Full powers in the case of Group B, C & Demployees	Full powers in the case of Group 'A' employees	-	-	-
40.	Power to reduce the pay of an officiating Governing Servant	Full powers in the case of Group B, C and D employees	Full powers in the case of Group 'A' employees			
41.	To sanction grant of and to permit acceptance of honorarium	Full powers up to a maximum of Rs. 5000/- per annum in each case in accordance with the provisions of rule 46 (B) of Fundamental Rules and Government of India's order issued there under from time to time for all categories of employees. In the case of recurring honoraria this limit applies to the total of recurring payments make to an individual in a year. In case of Group A & Group B employees the matter shall be reported to the Governing Body.	-	-	-	-
42.	Power to appoint an employee to hold temporarily to officiate in more than one post and to fix the pay of subsidiary posts and the amount of compensatory allowance to be drawn.	Full powers subject to rules applicable to similar classes of Central Government Employees.	-	-	-	-

43.	To declare the grade of fee paid to part time employees (for purpose of Travelling Allowances)	Full powers				
44.	To decide the shortest or cheapest of two or more routes.	Full powers				
45.	To allow mileage allowances by a route other than the shortest or cheapest	Full powers provided selection of the route is in Institutes interest.				
46.	To decide the point of commencement or end of journey in a station	Full powers				
47.	To declare that an Institute employee whose pay does not exceed Rs.300/- per mensem is entitled to lowest class accommodation in a steamer	Full powers	-	-	-	-
48.	To declare in case of doubt on hardship the class of steamer accommodation to which an Institute employees is entitled	Full powers				
49.	Power to require a medical certificate of fitness before return from leave.	Full powers	Full powers in the case of Director			
50.	Extension of leave to cover over-stay	Full powers provided that the employee on leave will on return be under the administrative control of the Institute	Full powers in all other cases	-	-	-
51.	To sanction transfer to foreign service in India and to fix the pay in foreign service	Full Powers in respect of Group B, C, and D employees, subject to the conditions mentioned in column 5 against Serial No. 30 in appendix 4 of the post & Telegraph compilation of fundamental and	Full powers in respect of Group A employees	-	-	-

		supplementary Rules, Vol.II				
52.	To decide the date of reversion of Government servant who takes leave before reversion from foreign service	Full Powers	-	-	-	-
53.	Power to sanction the undertaking of work for which a fee is offered and the acceptance of a fee	Full powers	-	-	-	-
54.	Travel by Air by Officer in relaxation of rules	Full powers in case of Urgency and necessity	-	-	-	-
55.	To declare that pay of an Institute employee includes compensation for all journey by road.	Full powers in the case of Group B, C and D employees	Full powers in case of Group A employees			
56.	Power to grant exemption from the rule limiting a halt on tour to ten days.	Full powers up to a limit of 30 days	Full powers beyond a period of 30 days	-	-	-
57.	Power to fix amount of hire or charges where an Institute employee is provided with means of locomotion at the expense of the Institute etc. but pays all the costs of its use of propulsion	Full powers				
58.	To grant travelling allowance to non-officials attending commission of enquiry etc. and to fix their grade.	Full powers	-	-	-	-
59.	To declare who shall be controlling officer and to make rules for his guidance	Full powers, provided an Institute employee is not declared his own controlling officer	-	-	-	-
60.	To grant leave other than special disability leave	Full powers				
61.	To grant leave when a medical board has reported that there is no reasonable prospect of the employee being fit to return to duty.	Full powers	-	-	-	-

62.	To decide in case of doubt whether a particular employee is serving in a vacation Department	Full powers	-	-	-	-
63.	To grant maternity, and hospital leave.	Full powers	-	-	-	
64.	To permit calculation of joining time by a route other than that which travellers ordinarily use.	Full powers	-	-	-	-
65.	To extend joining time within a maximum period of thirty days	Full powers	Full powers beyond thirty days	-	-	-
66.	Authorising an Institute employee to proceed on duty to any part of India.	Full powers in case of Group B, C and D employees	Full powers in case of Group A employees	-	-	-
67.	Power to alter in the case of clerical errors in the date of birth recorded in the service rolls of Institute employees	Full powers in case of Group 'C' & 'D' employees	Full power in the case of Group 'A' and 'B' employees	-	-	-
68.	Power to sanction investigation of claims for arrears of pay etc. which are more than three years but not more than six years old.	Full powers	Full powers in other cases.	-	-	-
69.	Power to sanction permanent advances in respect of employees other than Director	Full power	Full power in the case of Director	-	-	-
70.	Power to issue instructions to subordinate authorities in the matter of contingent expenditure.	Full powers	-	-	-	-
71.	Disposal of obsolete surplus and unserviceable stores	Full powers	-	-	The Director shall Act on the advice of condemnation Board set up for the purpose by the Institute	
72.	Power to vary the terms of repaying of advances granted to Institute employees in exceptional cases	Full powers in cases in which he is competent to sanction the grant of advances	To all other cases	-	-	-

		provided that in the case of interest bearing advances, the period of repayment not extended.				
73.	Power to sanction advances for purchase of conveyance	Full power in the cases of Institute employees holding permanent posts, subject to the limits and conditions laid down in Rules 199 to 218 of General Finance Rules.	-	-	-	-
74.	Power to authorise the sale or transfer of motor vehicles purchased with advance from the institute.	Full powers in cases mentioned in clauses (V) of Rule - 256 of General Finance Rule.	-	-	-	-
75.	Power to extend up to a maximum of 24 the number of instalments in which an advances granted for the purchase of a bicycle should be repaid to the Institute.	Full powers				
76.	Power to sanction advances to Institute employees on tour, transfer	Full power in case of Institute employees, holding permanent or temporary posts subject to the limits and conditions laid down in Rule 231 to 234 of General Finance Rules	-	-	-	-
77.	Power to sanction advances for the lawsuit to which Institute is a party.	Full power	--	-	-	-
78.	Power to prescribe the term of security bond to be executed by a subordinate authority, entrusted with the custody of cash, stores.	Full powers	-	-	-	-

79.	Power to sanction advances of pay on the eve of important festivals. Under the Treasury Rules	Full powers	-	-	-	-
80.	Power to authorise a departure from the provisions of the Rules 109 (1) relating to custody of Institute money.	Full power		-	-	-

SCHEDULE II

(See regulation 33)

The Appointing, Disciplinary and Appellate Authority for the various posts in the Institute

Sl. No.	Description of Posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalty or penalties which it may impose with reference to Rule - 11 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965		Appellate Authority
			Disciplinary Authority	Penalties under Rule- 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	
1	2	3	4	5	6
1	Group 'A' Posts (i) Director	Institute subject to Rule - 7 of the All India Institute of Medical Sciences Rules.	Institute	All, subject to condition that penalties (v) to (ix) shall not be imposed without the prior approval of the Central Government	
	(ii) Other Posts	Governing Body	(a) Governing Body (b) President	(a) All Penalties (b) Penalties (i) to (iv)	(a) Institute Governing Body
2	Group 'B' posts	President	(c) President (d) Director	(c) All Penalties (d) Penalties (i) to (iv)	(b) Governing Body (c) President
3	Group 'C' posts	Director	(a) Director	(a) All penalties	(a) President
4	Group 'D' posts	Director	(a) Director (b) Deputy Director (Administration) in the case of Institute employees other than those provided in (c) and (d) below (c) Medical Superintendent in the case of All India Institute of Medical	(a) All Penalties (b) Penalties (i) to (iv) (c) Penalties (i) to (iv) (d) Penalties (i) to (iv)	(a) President (b) Director (c) Director (d) Director

			Sciences Hospital employees. (d) Chief Organiser, Dr.Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences and Chiefs of other Centres as and when established by the Institute in the case of the employees working in the Centres concerned.		
--	--	--	--	--	--

- (i) Authorisation of the Director, All India Institute of Medical Sciences to issue the Charge-sheet and statement of allegation, penalties and suspension orders after obtaining the approval of the Governing Body, the President, All India Institute of Medical Sciences, as the case may be. The notice, the charge-sheet and statement of allegations shall be signed by the Director for and on behalf of the Governing Body or the President, as the case may be, and the documents shall also expressly state this fact. Phrases like “By order of the Governing Body” or “the President” or the “approval by the Governing Body” or the “President” can be used on such documents.
- (ii) Since the Governing Body meeting are fixed at intervals, the Chairman of the Governing Body is authorised to initiate disciplinary proceedings against employees of Group A and faculty members and the final decision on penalty shall be taken in the Governing Body meeting.

By the Authority of the Institute

RANDEEP GULERIA, Director

[ADV.T.-III/4/Exty./248/19]